विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	वित्तीय वर्ष 2005–06 का वार्षिक प्रतिवेदन की कार्यकारी संक्षेपिका	2
1.	आयोग द्वारा वर्ष 2005–06 के दौरान जारी किये गये टैरिफ आदेश	6
2.	वर्ष 2005–06 में जारी किये गये विनियम/विनियमों के संशोधन	14
3.	राज्य का ऊर्जा परिदृश्य	15
4.	पारेषण तथा वितरण कंपनियों के कार्यो की समीक्षा	23
5.	विनियम अनुपालन की अद्यतन स्थिति	38
6.	उपभोक्ता सेवा तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निष्पादित किये गये अनुपालन मापदण्ड	49
7.	वित्तीय वर्ष 2005–06 में आयोग की प्राप्तियॉ एवं व्यय का विवरण	62
	परिशिष्ट 1 से 5	63–79

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

वित्तीय वर्ष 2005–06 का वार्षिक प्रतिवेदन की कार्यकारी संक्षेपिका

1. आयोग :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) का गठन विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 (1) के अर्न्तगत राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. 5726–एफ. 3–20–XIII–98 दिनांक 18 अगस्त, 1998 द्वारा किया गया था तथा यह माह फरवरी 1999 में अस्तित्व में आया । राज्य शासन द्वारा विद्युत क्षेत्र में सुधार लाये जाने की दृष्टि से एक व्यापक राज्य विधेयक अधिनियमित किया जाना उचित समझा गया तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 को वर्ष 2001 में अधिनियमित किया गया । इस राज्य अधिनियम की धारा 3 (4) के अनुसार, राज्य आयोग जिसे केन्द्रीय अधिनियम की धारा 17 (1) के अनुसार गठित किया गया, अधिनियम जारी किये जाने की तिथि से प्रचलित अधिनियम के प्रयोजन हेतु प्रथम आयोग होगा । केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (वि.अ. 2003) को अधिनियमित किया गया जो विद्युत उत्पादन, पारेषण, व्यापार तथा इसके उपयोग के संबंध में तथा नियामक आयोगों के गठन के संबंध मे व्यापक कानून है। यह दिनांक 10 जून 2003 को लागू हो गया । वि.अ. 2003 की धारा 82 (1) के प्रथम उपबंध के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया राज्य विद्युत आयोग, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 की धारा 17 के अन्तर्गत तथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अधिनियमन (जिनमें म.प्र. विद्युत सुधार अधिनियम भी सम्मिलित था) तथा राज्य आयोगों द्वारा इस प्रकार से किये जा रहे कृत्य विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रयोजनों से राज्य आयोग द्वारा सम्पादित किये जा रहे माने जावेंगे । तद्नुसार, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग जिसे राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त, 1998 द्वारा गठित किया गया है, विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों के अन्तर्गत राज्य आयोग के रूप में प्रवृत्त है (आयोग के वर्तमान सदस्यों की सूची परिशिष्ट 1 में दर्शायी गई है)। विद्युत अधिनियम की धारा 105 के अनुसार राज्य आयोग प्रतिवर्ष एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें उसके द्वारा पूर्व वर्ष की गतिविधियों की संक्षेपिका दी जावेगी तथा प्रतिवेदन की प्रतियां राज्य शासन को प्रेषित की जावेंगी तथा प्राप्त होने पर यथा शीघ्र इन्हें राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जावेगा ।

आयोग पूर्व में भी वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करता रहा है तथा इन्हें राज्य शासन को अग्रेषित करता रहा है । यह वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2005–06 से संबंद्ध है ।

2. आयोग के कृत्य :

आयोग के मुख्य कृत्यों में सम्मिलित हैं :–

- राज्य के भीतर विद्युत के उत्पादन, प्रदाय, पारेषण और चक्रण (व्हींलिंग) की दरों (टैरिफ) का निर्धारण करना ।
- वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के विद्युत क्रय और वितरण की अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेन्ट) प्रक्रिया का विनियमन करना ।
- राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण तथा चक्रण की प्रक्रिया बनाना।
- पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और विद्युत व्यापारियों के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को राज्य के भीतर इनके प्रचालन के बारे में अनुज्ञप्तियों को जारी करना ।
- अनुज्ञप्तिधारियों को अन्य व्यक्तियों के साथ समन्वयन करके विद्युत के उत्पादन, पारेषण, उप–पारेषण, वितरण, प्रदाय और उपयोग की अभिवृद्धि के लिये परिप्रेक्ष्य परियोजनाएं और योजनाएं बनाने के निर्देश देना ।
- नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के स्त्रोतों तथा विद्युत विक्रय के लिये विद्युत के सह–उत्पादन को प्रोत्साहन देना तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, ऐसे स्त्रोतों से विद्युत की खरीद का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना ।
- अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के बारे में मानकों का विनिर्दिष्ट किया जाना तथा उन्हें प्रवृत्त/प्रभावशील किया जाना ।

आयोग द्वारा निम्नलिखित विषयों पर भी राज्य शासन को परामर्श देना होता है:–

- विद्युत उद्योग के क्रिया कलाप में प्रतियोगिता, दक्षता, और मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना।
- विद्युत उद्योग में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देना ।
- राज्य में विद्युत उद्योग का पुनर्गठन और पुनः संरचना की जाना ।
- विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार संबंधी मामले या कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किया गया हो ।

3. वित्तीय वर्ष 2005–06 की गतिविधियों का सारांश

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2005–06 में निम्न टैरिफ आदेश जारी किये गये:–

- वित्तीय वर्ष 2005–06 का खुदरा विद्युत प्रदाय संबंधी टैरिफ आदेश दिनांक 29 जून, 2005

- वित्तीय वर्ष 2005–06 का म.प्र. जनरेटिंग कंपनी हेतु टैरिफ आदेश दिनांक 25 जनवरी, 2006
- वित्तीय वर्ष 2005–06 का म.प्र. ट्रांसमीशन कंपनी हेतु टैरिफ आदेश दिनांक 7 फरवरी, 2006
- वित्तीय वर्ष 2006–07 का म.प्र. जनरेटिंग कंपनी हेतु बहु–वर्षीय सिद्धान्तों के अन्तर्गत टैरिफ आदेश दिनांक 7 मार्च 2006
- वित्तीय वर्ष 2006–07 का म.प्र. ट्रांसमीशन कंपनी हेतु बहु–वर्षीय सिद्धान्तों के अन्तर्गत टैरिफ आदेश दिनांक 13 मार्च 2006
- वित्तीय वर्ष 2006–07 का तीन वितरण कंपनियों के बहु–वर्षीय सिद्धान्तों के अन्तर्गत खुदरा विद्युत प्रदाय संबंधी टैरिफ आदेश दिनांक 31 मार्च 2006

आयोग द्वारा प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत को दृष्टिगत रखते हुऐ कई कदम उठाये गये हैं तथा वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु अनुज्ञप्तिधारियों के अनुपालन मानदण्डों की नियमित रूप से समीक्षा भी कर रहा है ।

आयोग द्वारा राज्य सरकार को उसके द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (मप्रराविमं) के पुर्नगठन के संबंध में तथा तत्कालीन म.प्र.राविमं के विघटन के फलस्वरूप उसके कृत्यों के निष्पादन हेतु बनाई गई कंपनियों के कार्य संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता बाबत् भी परामर्श प्रदान किया है ।

आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके प्रचालन क्षेत्रों के अन्तर्गत कुल ऊर्जा के उपयोग का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत पवन ऊर्जा उत्पादकों से उनकी स्थापित क्षमता के आधार पर क्रय करना होगा ।

आयोग द्वारा इस वर्ष के दौरान कई विनियम जारी किये हैं जिनमें से कुछेक निम्नानुसार हैः–

- उत्पादन टैरिफ निर्धारण की निबंधन तथा शर्तें
- विद्युत वितरण तथा खुदरा व्यापार निर्धारण की निबंधन तथा शर्तें
- पारेषण टैरिफ निर्धारण की निबंधन तथा शर्तें
- टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की गणना की प्रक्रिया

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसरण में आयोग द्वारा पूर्व के वर्षों में जारी किये गये विनियमों पर इस वर्ष के दौरान कई संशोधन जारी किये गये हैं ।

आयोग द्वारा अधिनियम में दिये गये दिशानिर्देशों तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुरूप उपभोक्ता सेवाओं में सुधार लाये जाने तथा अनुज्ञप्तिधारी के अनुपालन संबंधी विषयों पर स्व–प्रेरणा याचिकाएं भी पंजीकृत की गई हैं। (इनके विवरण परिशिष्ट–2 में दर्शाये गये है)

इस वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान 147 नवीन याचिका में पंजीबद्ध की गई। पूर्व वर्ष की लंबित 58 याचिकाओं को मिलाकर कुल 205 याचिकाओं में से वर्तमान वर्ष में आयोग द्वारा 140 याचिकाओं का निराकरण किया । वर्ष के अंत में 65 याचिकायें लंबित रहीं। उक्त वर्ष की समयावधि में आयोग द्वारा 61 बैठकों में सुनवाई की गई।

यह भी उल्लेखनीय है कि विद्युत प्रदाय उपभोक्ताओं के हित संरक्षण हेतु विभिन्न विषयों पर परामर्श हेतु आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2005–06 की समयावधि में राज्य सलाहकार समिति की चार बैठकें आयोजित की गई जो क्रमशः 4 जून 2005, 5 सितंबर 2005, 10 दिसम्बर 2005 एवं 27 फरवरी 2006 को आयोग के कार्यालय में सम्पन्न हुई। इसमें विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के साथ ही उत्पादन, पारेषण एवं वितरण टैरिफ निर्धारण हेतु प्रस्तुत याचिकाओं पर चर्चा की गई।

———————

अध्याय – 1

वर्ष 2005–06 के दौरान जारी किये गये टैरिफ आदेश

1.1 वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु जारी खुदरा विद्युत प्रदाय हेतु टैरिफ आदेश दिनांक 29 जून, 2005

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (म.प्र.राविमं) द्वारा मप्रविनिआ (कार्य संचालन) विनियम, 2004 की धारा 31 सहपठित म.प्र.विनिआ (टैरिफ निर्धारण के लिये उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 के तहत एक याचिका आयोग को माह जनवरी, 2005 में प्रस्तुत की गई जिसमें कई प्रकार की कमियां पाई गईं। म.प्र. राविमं को उनके द्वारा किये गये अनुरोध पर प्रदान की गई कई समय–वृद्धियों के उपरांत, उनके द्वारा अन्तिम रूप से याचिका दिनांक 21 मार्च, 2005 को प्रस्तुत की गई। मप्रराविमं ने इस याचिका में रू. 979.21 करोड़ का राजस्व घाटा दर्शाया तथा, इस घाटे की आपूर्ति बाबत रू. 367.31 करोड़ की टैरिफ वृद्धि तथा बाकी बची हुई राशि रू. 611.90 करोड़ विनियमन परिसंपत्तियों (रेगुलेटरी ऐसेट) के रूप में किया जाना चाहा गया था । मप्रराविमं द्वारा प्रस्तुत याचिका का सारांश समाचार पत्रों (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) में प्रचार–प्रसार किये जाने तथा उन पर हिताधिकारियों तथा आम जनता की आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये जाने के उपरांत, आयोग द्वारा 28, 30 तथा 31 मई व 1 जून, 2005 को जन–सुनवाई की गई। इस दौरान प्राप्त किये गये सुझावों/टीपों पर चर्चा हेतु राज्य सलाहकार समिति के बैठक दिनांक 4 जून, 2005 को आयोजित की गई ।

इस बीच मध्यप्रदेश शासन द्वारा आदेश दिनांक 31 मई, 2005 द्वारा म.प्र. जनरेटिंग कंपनी, म.प्र. ट्रांसमीशन कंपनी, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा अवशेष म.प्र.राविमं के उक्त दिनांक की स्थिति में प्रारंभिक आय–व्यय विवरण पत्र (Opening Balance Sheet) को अधिसूचित कर दिया गया तथा मप्रराविमं तथा पांच कंपनियों के मध्य प्रचलित प्रचालन तथा प्रबंधन अनुबंध को समाप्त कर दिया गया । म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 6 जून, 2005 को यह भी अधिसूचित किया गया कि मप्रराविमं दिनांक 9 दिसम्बर, 2005 तक एक व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी बतौर अपने कृत्यों को जारी रख सकेगा । म.प्र. शासन द्वारा माह दिसम्बर, 2005 में इस अवधि को 9 जून, 2006 तक आगे बढ़ा दिया गया है ।

चूंकि पांचों कंपनियों द्वारा अपने कार्य दिनांक 1 जून, 2005 से स्वतंत्र रूप से प्रारंभ कर दिये गये, अतः उन्हें टैरिफ निर्धारण हेतु अपनी याचिकाएं पृथक–पृथक दायर करना अनिवार्य था । म.प्र.राविमं तथा विघटित इकाईयों की टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया अलग–अलग है। मप्रराविमं को कार्य पर लगाई गई पूंजी पर 3 प्रतिशत लाभ दिया जाता था, जबकि विघटित इकाईयां कंपनी के रूप में कार्य करने लगीं थी जिससे वे इक्विटी (पूंजी) पर ही लाभ की पात्रता रखती हैं । उत्पादन कंपनी, ट्रांसमीशन कंपनी तथा वितरण कंपनियों हेतु कार्यकारी पूंजी संबंधी मापदण्ड पृथक–पृथक हैं । अतः आयोग द्वारा 29 जून, 2005 को पांचों इकाईयों का

वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण किये बिना दिनांक 10 जून, 2004 को जारी किये गये आदेश में पूर्व टैरिफ आदेश में कुछ संशोधन मात्र ही किये गये । आयोग द्वारा समस्त कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2005–06 की टैरिफ याचिकाएं 31 जुलाई, 2005 से पूर्व प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये ताकि इन कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण किया जा सके।

1.2 वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु म.प्र. जनरेटिंग कंपनी बाबत् टैरिफ आदेश दिनांक 25 जनवरी, 2006

जैसा कि पूर्व पैरा में उल्लेख किया गया है, मप्र जनरेटिंग कंपनी को वित्तीय वर्ष 06 हेतु किसी अन्तर को पाटने हेतु लागू होने पर उनकी वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्ताव दिनांक 31 जुलाई, 2005 तक प्रस्तुत किया जाना था । आयोग से सहमति प्राप्त होने पर, मप्र जनरेटिंग कंपनी ने उनकी याचिका दिनांक 23 अगस्त, 2005 को प्रस्तुत की जिस पर आयोग द्वारा उन्हें इसमें कुछ कमियां बतलाई गईं । म प्र जनरेटिंग कंपनी द्वारा वांछित जानकारी/आंकड़े दिनांक 27 सितम्बर, 2005 तक प्रस्तुत किये गये । अतएव, आयोग द्वारा इस तिथि की ही गणना याचिका प्रस्तुति की अन्तिम तिथि हेतु की गई है । सार्वजनिक सूचनाएं दोनों अग्रेजी तथा हिन्दी समाचार पत्रों में दिनांक 24 तथा 25 सितम्बर, 2005 प्रकाशित की गईं तथा इसकी जन–सुनवाई दिनांक 17 नवम्बर, 2005 को आयोजित की गई । राज्य सलाहकार समिति को टैरिफ प्रस्तावों के संबंध में एक प्रस्तुति भी दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 को बैठक के दौरान की गई तथा आयोग द्वारा टैरिफ दरों का अन्तिम निर्धारण किये जाने से पूर्व उनकी टीप/विचार भी ध्यान में रखे गये ।

इस टैरिफ आदेश में, आयोग द्वारा म.प्र. जनरेटिंग कंपनी की स्टेशनवार वार्षिक राजस्व आवश्यकता भी निर्धारित की गई तथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रतिपादित किये गये सिद्धान्तों के अनुसार विभिन्न उत्पादन स्टेशनों हेतु द्वि–भाग (टू –पार्ट) टैरिफ संरचना भी लागू की गई ।

स्टेशन–वार अनुमोदित की गई स्थायी लागतें (फिक्स्ड कॉस्ट) तथा परिवर्तनीय लागतें (वेरियेबल कॉस्ट) निम्न तालिका में दर्शायी गयी हैं :–

(राशि लाख रू. में)

जनरेटिंग स्टेशन	स्थाई लागत	परिवर्तनीय लागत	कुल लागत	पैसे/यूनिट
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन	6774	12708	19581	173
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन	19601	86175	105776	150
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन	34261	47911	82172	166
कुल ताप विद्युत	**60635**	**146893**	**207529**	**158**
गांधी सागर	542		542	19
पेंच	731		731	21

राजघाट	824		824	83
बरगी	1381		1381	28
बाणसागर–प्रथम (टोंस)	7439		7439	83
बाणसागर–द्वितीय (सिलपारा)	876		876	103
बाणसागर तृतीय (देवलोंद)	1312		1312	131
बिरसिंहपुर	373		373	75
जल विद्युत	**13478**		**13478**	**57**
ताप विद्युत तथा जल विद्युत	**74113**	**146893**	**221006**	**143**
म.प्र. पावर जनरेंटिग कंपनी को देय (10 माह हेतु)	61716	122144	184172	143

आयोग द्वारा जनरेटिंग कंपनी द्वारा की गई प्रस्तुतियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की गई तथा उसके द्वारा किये जाने वाले दस माह के प्रचालन हेतु उसे देय लागत अनुमोदित की गई । आयोग द्वारा द्वि–भाग टैरिफ का भी अनुमोदन किया गया जिसके अनुसार उत्पादन कंपनी द्वारा एक बार संयंत्र उपलब्धि प्रमाणित किये जाने पर वह स्थाई लागत की प्राप्ति कर सकेगी तथा इनमें से किसी भी संयंत्र द्वारा संयंत्र उपलब्धि लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहने पर उसके द्वारा उत्पादन स्टेशनों के स्थाई प्रभारों में आनुपातिक कमी किये जाने की शर्त भी लागू की गई । आयोग द्वारा सावधानीपूर्वक संयंत्र भार कारक (प्लांट लोड फैक्टर)/लक्ष्य उपलब्धि (टारगेट अवैलेबिलिटि) का निर्धारण किये जाने से पूर्व संयंत्रों की आयु, तथा इनके निर्माता कंपनियों के मापदण्डों (स्पेसिफिकेशंस) आदि का भी परीक्षण किया गया ।

1.3 वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु म.प्र. ट्रांसमीशन कंपनी बाबत् टैरिफ आदेश दिनांक 7 फरवरी, 2006

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, म.प्र. ट्रांसमीशन कंपनी को वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता के निर्धारण बाबत् उनकी याचिका दिनांक 31 जुलाई, 2005 से पूर्व दायर करनी थी ताकि आयोग वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु दीर्घ–अवधि (लांग टर्म) उपयोगकर्ताओं तथा खुली पहुंच (ओपन एक्सेस) क्रेताओं द्वारा भुगतान किये जाने योग्य टैरिफ दर निर्धारित कर सके । तथापि, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि ट्रांसमीशन कंपनी लागत की वसूली प्रति मिलियन यूनिट दर के बदले प्रति मेगावाट दर के रूप में वसूली कर सके तथा दीर्घ–कालीन उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग की जा रही पारेषण क्षमता को बता सके, आयोग द्वारा म.प्र. ट्रांसमीशन कंपनी को दिनांक 15 सितम्बर, 2005 तक का समय उनकी याचिका की प्रस्तुति हेतु अतिरिक्त अवधि प्रदान की गई । म.प्र. ट्रांसमीशन कंपनी द्वारा अवधि को एक सप्ताह और बढ़ाये जाने हेतु अनुरोध किया गया जिसे आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया । म.प्र. ट्रांसमीशन कंपनी द्वारा याचिका दिनांक 21 सितम्बर, 2005 को प्रस्तुत की गई परन्तु अन्य समस्त औपचारिकताएं, जैसे कि याचिका शुल्क का भुगतान आदि दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 को ही पूर्ण की गईं । अतः इस तिथि को ही याचिका की औपचारिक प्रस्तुति

तिथि मान्य किया गया । इस बीच आयोग द्वारा याचिका की संक्षेपिका के प्रकाशन की व्यवस्था अंग्रेजी तथा हिन्दी समाचार–पत्रों में की गई। आयोग ने इसकी जन–सुनवाई दिनांक 9 दिसम्बर, 2005 को भोपाल में आयोजित की तथा उसके द्वारा हिताधिकारियों तथा आम जनता के विचार/टीप/आपत्तियां प्राप्त की गईं । आयोग द्वारा राज्य सलाहकार समिति के समक्ष दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 को इस याचिका तथा इस पर प्राप्त विचार/टीप/आपत्तियों की प्रस्तुति की व उनके विचार/सुझाव प्राप्त किये।

म.प्र. ट्रांसमीशन कंपनी के निवेदन पर सावधानीपूर्वक विचारोपरांत, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ दरों को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गई:

(राशि करोड़ रू. में)

विवरण	म.प्र. ट्रांसमीशन कंपनी द्वारा प्रस्तावित की गई राशि	आयोग द्वारा अनुमोदित की गई राशि
मरम्मत तथा संधारण	24.17	13.95
कर्मचारी व्यय	73.26	63.64
प्रशासन तथा सामान्य	15.36	10.08
अवमूल्यन	114.00	74.85
ऋण पर ब्याज	184.39	55.31
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	12.78	15.68
पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ	92.82	101.08
पेंशन फण्ड के उत्तरदायित्व	176.53	127.62
योग	693.31	462.21
घटायें : राज्य भार प्रेषण केन्द्र व्यय	16.12	
पारेषण की वार्षिक स्थायी लागत	677.19	462.21
पारेषण प्रणाली की क्षमता	5560 मेगावाट	5563 मेगावाट

यद्यपि म.प्र. ट्रांसमीशन कंपनी द्वारा यह अनुरोध किया गया कि उसके प्रचालन कार्यों हेतु लोड डिस्पेच सेंटर के प्रभार उनके वार्षिक राजस्व आवश्यकता में से घटा दिये जावें तथा इन प्रभारों का निर्धारण आयोग द्वारा पृथक से किया जावे, परन्तु लोड डिस्पेच सेंटर द्वारा पृथक अकाउण्ट निर्धारित किये नही जाने वजह से आयोग द्वारा इनका पृथक निर्धारण नही किया गया व इन्हें पारेषण प्रभारों में सम्मिलित किया गया। म.प्र. ट्रांसमीशन कंपनी द्वारा अब यह पुष्टि कर दी गई है कि लोड डिस्पेच सेंटर वर्तमान में पृथक अकाउण्ट संधारित कर रहा है, अतएव आयोग वित्तीय वर्ष 07 से आगे लोड डिस्पेच सेंटर प्रभारों का पृथक निर्धारण कर सकेगा ।

1.4 वित्तीय वर्ष 06–07 से वित्तीय वर्ष 08–09 हेतु बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अन्तर्गत वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा उत्पादन टैरिफ का निर्धारण दिनांक 7 मार्च, 2006

विद्युत अधिनियम 2003 तथा राष्ट्रीय टैरिफ नीति में किये गये प्रावधानों के अनुसरण में, आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के आधार पर विनियम तैयार किये गये जिन्हें म.प्र. राजपत्र में दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 को हिताधिकारियों तथा आम जनता से टीप/आपत्तियां आमंत्रित किये जाने के पश्चात अधिसूचित किया गया । तद्नुसार, म.प्र. जनरेटिंग कंपनी द्वारा टैरिफ याचिका तीन वर्षों की टैरिफ अवधि हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा उत्पादन टैरिफ के निर्धारण हेतु विनियमों के माध्यम से आयोग द्वारा जारी मानदण्डों के आधार पर प्रस्तुत की जानी थी । म.प्र. जनरेटिंग कंपनी द्वारा इसे दिनांक 23 जनवरी, 2006 को प्रस्तुत किया गया । एक सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन अंग्रेजी तथा हिन्दी समाचार पत्रों के माध्यम से हिताधिकारियों से उनकी टीप आमंत्रित किये जाने के संबंध में दिनांक 31 जनवरी, 2006 को किया गया । भोपाल में दिनांक 20 फरवरी, 2006 को इस हेतु जन सुनवाई आयोजित की गई तथा राज्य सलाहकार समिति को याचिका के संबंध में एक प्रस्तुति के माध्यम से दिनांक 27 फरवरी, 2006 को आयोजित बैठक में अवगत कराया गया ।

याचिका के सावधानीपूर्वक परीक्षण किये जाने के उपरांत आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा शेष दो वर्ष अर्थात् 2007–08 एवं 2008–09 के लिए इंगित राशि एवं परिणामी उत्पादन टैरिफ को निम्नानुसार अनुमोदित किया गया :

(लागत करोड़ रू. में)

	प्रस्तावित				अनुमोदित		
उत्पादन स्टेशन	**स्थाई लागत**	**परिवर्तनीय लागत**	**कर तथा शुल्क**	**कुल लागत**	**स्थाई लागत**	**परिवर्तनीय लागत**	**कुल लागत**
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन	53.5	137.6	4.2	195.3	47.38	134.51	181.89
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन	303.2	860.2	18.1	1181.5	201.54	957.13	1158.67
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन	368.1	529.9	41.8	939.7	302.94	518.06	821.00
ताप विद्युत	**724.7**	**1527.7**	**64.0**	**2316.5**	**551.85**	**1609.70**	**2161.56**
गांधी सागर	4.1		2.6	6.6	10.37		10.37
पेंच	9.7		1.5	11.2	11.16		11.16
राजघाट	6.6		2.0	8.6	8.50		8.50

बरगी	11.3		2.4	13.7	9.45		9.45
बाणसागर	143.4		23.2	166.7	93.70		93.70
बिरसिंहपुर)	4.1		0.9	5.0	3.87		3.87
राणा प्रताप सागर	5.6		0.3	6.0			
जवाहर सागर	3.8		0.3	4.1			
जल विद्युत	**188.6**		**33.3**	**221.9**	**137.05**		**137.05**
ताप विद्युत तथा जल विद्युत	**913.4**			**2838.4**	**688.90**	**1609.70**	**2298.61**

वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के लिए उत्पादन टैरिफ की वास्तविक गणना पुनः की जाएगी। यद्यपि म.प्र. जनरेटिंग कंपनी की याचिका में राणाप्रताप सागर तथा जवाहर सागर सम्मिलित किये गये थे, आयोग ने इन्हें वार्षिक राजस्व आवश्यकता पर विचार करते समय मान्य नहीं किया क्योंकि ये मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित थे, अतएव इन परियोजनाओं पर आयोग का क्षेत्राधिकार नहीं है । इसी प्रकार आयोग द्वारा सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन प्रथम चरण की पूर्ण परिवर्तनीय लागत निर्धारित की गई थी चूंकि यह परियोजना राज्य के भीतर स्थित है एवं यह आयोग के अधिकार–क्षेत्र में आता है ।

1.5 वित्तीय वर्ष 07 से वर्ष 09 हेतु बहुवर्षीय सिद्धान्तों के अन्तर्गत वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा पारेषण टैरिफ का निर्धारण दिनांक 13 मार्च, 2006

जैसा कि पूर्व के पैरा में उल्लेखित किया गया है, विद्युत अधिनियम 2003 तथा राष्ट्रीय टैरिफ नीति में किये गये प्रावधानों के अनुसरण में, आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के आधार पर विनियम तैयार किये गये जिन्हें कि म.प्र. राजपत्र में दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 को हिताधिकारियों तथा आम जनता से इन पर टीप/आपत्तियां आमंत्रित किये जाने के पश्चात अधिसूचित किया गया । तद्नुसार, म.प्र. ट्रांसमीशन कंपनी को टैरिफ याचिका में प्रस्तावित व्ययों तथा पारेषण प्रणाली के दीर्ध–अवधि उपयोगकर्ताओं से इसकी पुर्नप्राप्ति हेतु टैरिफ अवधि के तीन वर्षों के लिये विनियमों के माध्यम से आयोग द्वारा जारी मानदण्डों के आधार जानकारी समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाना था । म.प्र. ट्रांसमीशन कंपनी द्वारा इसे अन्तिम रूप से दिनांक 1 फरवरी, 2006 को प्रस्तुत किया गया । एक सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन अंग्रेजी तथा हिन्दी समाचार पत्रों के माध्यम से हिताधिकारियों से उनकी टीप आमंत्रित किये जाने के संबंध में दिनांक 4 फरवरी, 2006 को किया गया । दिनांक 20 फरवरी, 2006 को इस हेतु एक जन–सुनवाई भोपाल में आयोजित की गई तथा राज्य सलाहकार समिति को याचिका के संबंध में एक प्रस्तुति के माध्यम से दिनांक 27 फरवरी, 2006 को अवगत कराया गया ।

आयोग द्वारा याचिका पर विस्तृत रूप से विचार किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु वार्षिक पारेषण प्रभार निम्नानुसार निर्धारित किये गये : (वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में भी पारेषण टैरिफ का इंगित अनुमान यही है)

(राशि करोड़ रू. में)

विवरण	ट्रांसमीशन कंपनी द्वारा प्रस्तावित	आयोग द्वारा अनुमोदित
प्रचालन तथा संधारण व्यय	131.61	92.66
अवमूल्यन	139.00	99.74
ऋणों पर ब्याज	167.65	54.94
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	17.00	67.13
पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ	95.97	122.78
टर्मिनल सुविधाओं हेतु प्रावधान	121.83	160.00
देय कर तथा शुल्क	7.01	1.43
योग	**680.08**	**598.69**
पारेषण प्रणाली क्षमता	6063 मेगावाट	6011 मेगावाट

आयोग द्वारा म.प्र. शासन की अधिसूचना के आधार पर गैर–पारंपरिक ऊर्जा उत्पादकों द्वारा देय पारेषण प्रभारों का निर्धारण किया गया है । तद्नुसार इन उत्पादकों द्वारा 17 पैसे प्रति यूनिट देय है तथा मध्यप्रदेश शासन म.प्र. ट्रांसमीशन कंपनी को वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान 34 पैसे प्रति यूनिट की दर से इसकी प्रतिपूर्ति करेगा ।

1.6 वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश दिनांक 31 मार्च, 2006

सभी तीनों वितरण कंपनियों द्वारा दो वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु पृथक–पृथक वार्षिक राजस्व आवश्यकताएं प्रस्तुत की गई थीं जिसमें उनके द्वारा राजस्व घाटे की पूर्ति आंशिक रूप से विनियमन परिसम्पत्तियों (रेगुलेटरी ऐसेट)के निर्माण द्वारा तथा आंशिक रूप से निम्न दाब उपभोक्ताओं की टैरिफ दर में वृद्धि द्वारा प्रस्तावित की गई थी । मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा उनकी याचिका दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को, पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2006 को तथा पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2006 को प्रस्तुत की गई । आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का यथोचित प्रचार–प्रसार किया गया तथा हिताधिकारियों के विचार/टीप आमंत्रित किये गये । आयोग द्वारा पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी के प्रस्तावों पर दिनांक 20 फरवरी, 2006 को तथा पूर्व तथा मध्य क्षेत्र वितरण कंपनियों के प्रस्तावों पर दिनांक 28 फरवरी, 2006 को जन–सुनवाई आयोजित की गई । आयोग द्वारा कई गैर–सरकारी संगठनों को उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधित्व हेतु टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में भाग लेने हेतु भी आमंत्रित किया गया ।

राज्य सलाहकार समिति को तीनों अनुज्ञप्तिधारियों के प्रस्तावों पर एक प्रस्तुति भी दिनांक 27 फरवरी, 2006 को की गई एवं समिति के सदस्यों की सलाह ली गई ।

आयोग को मध्यप्रदेश शासन (ऊर्जा विभाग) द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2006 के पत्र में इस आशय से अवगत कराया गया कि राज्य भर में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों हेतु एक समान टैरिफ दरें जारी रखी जानी चाहिए । इसके माध्यम से शासन द्वारा अपनी यह चिन्ता भी व्यक्त की गई कि वितरण कंपनियों के मध्य किसी प्रकार के वृहद् अन्तर, राजस्व घाटे अथवा लाभ के रूप में उत्पन्न न हों तथा शासन की नीति के अनुसार केवल उनके द्वारा विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं को ही राज्य अनुदान (सबसिडी) वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी विचार से भी अवगत कराया गया। आयोग ने राज्य शासन के उपरोक्त पत्र में इंगित किये गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपनी ओर से सभी प्रकार के प्रयास किये हैं तथापि विभिन्न वितरण कंपनीयों में उपभोक्ता मिश्रण, प्रचालन दक्षताओं, संग्रहण दक्षता आदि में भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना सरल नहीं हैं।

तथापि, आयोग द्वारा खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ दर को सम्पूर्ण राज्य में एक समान बनाया गया है जिसके परिणाम स्वरूप तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को भिन्न–भिन्न हानि/लाभ हो सकतें हैं । इस भिन्न–भिन्न हानि/लाभ का समायोजन अगामी टैरिफ आदेशों में करने का प्रयास किया जावेगा। आयोग द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि नवीन टैरिफ दर को दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावशील कर दिया जावे । यह उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अवसर है कि टैरिफ का निर्धारण वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व ही कर लिया गया है ताकि अनुज्ञप्तिधारी सम्पूर्ण वर्ष हेतु उनके राजस्व की नवीन टैरिफ दरों के अनुसार वसूली कर सकें।

———————————

अध्याय – 2

वर्ष 2005–06 में जारी किये गये विनियम/विनियमों के संशोधन

म.प्र. विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 में यह अपेक्षा की गई थी कि आयोग राज्य में विद्युत उद्योग के संबंध मानकों का निर्धारण तथा इन्हें लागू करेगा जिनमें सेवा की सुरक्षा, गुणवत्ता, निरंतरता तथा विश्वसनीयता तथा संहिताओं का विकास, विद्युत प्रदाय संहिता तथा ग्रिड संहिता, वितरण संहिता इत्यादि सम्मिलित हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 में यह निर्देशित किया गया कि आयोग अधिसूचना जारी कर, सामान्यतः अधिनियम के सुसंगत विनियम तथा अधिनियम के उपबंधों के परिपालन हेतु नियम बना सकता है । उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, आयोग द्वारा सेवा की सुरक्षा, गुणवत्ता, निरंतरता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से विभिन्न विनियम तैयार करता रहा है तथा उसके द्वारा संहिताएं भी तैयार की गई हैं । वह इनमें संशोधन भी जारी करता रहा है जिसकी आवश्यकता या तो हिताधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रतिपादित की गई हो अथवा जिन्हें भारत सरकार की राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा राष्ट्रीय टैरिफ नीति की अधिसूचना के अनुसरण में इन्हें बनाना जरूरी हो । आयोग द्वारा 31 मार्च 2006 तक अधिसूचित किये गये विनियमों की सूची परिशिष्ट – 3 में दर्शाई गई हैं ।

———————————

अध्याय – 3

राज्य का ऊर्जा परिदृश्य

3.1 उत्पादन – स्थापित क्षमता

राज्य में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों की क्षमता को छोड़कर, तथा संयुक्त उपक्रम परियोजनाओं को छोडकर निम्न आकृति में दर्शायी गई है :

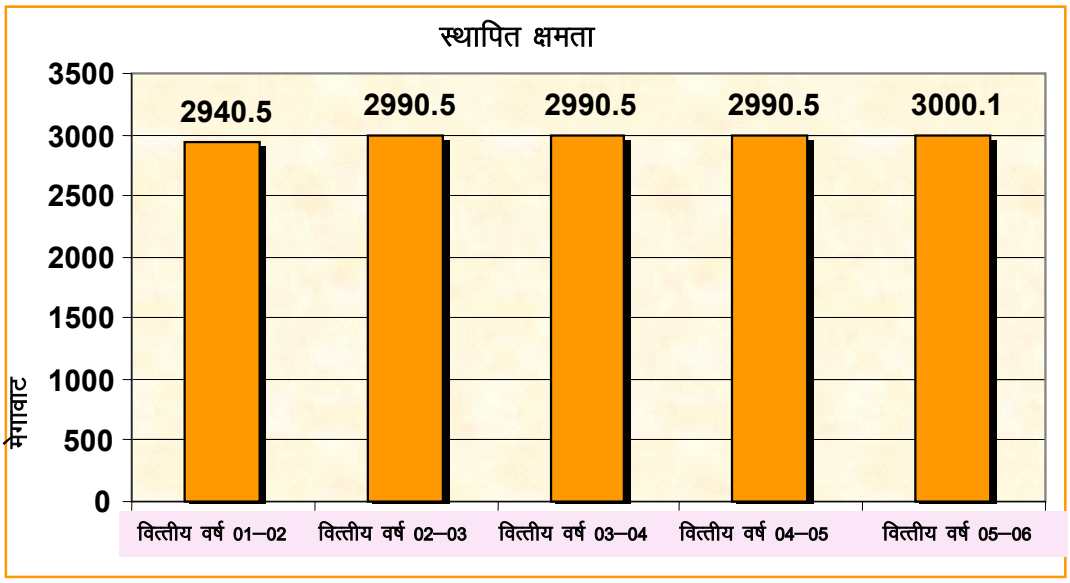

(स्त्रोत : वित्तीय वर्ष 05–06 की टैरिफ याचिका)

3.2 वर्ष–वार क्षमता में वृद्धि :

पिछले पांच वर्षों में वर्षवार क्षमता वृद्धि निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

(अ) <u>कुल स्थापित उत्पादन क्षमता</u> :

(मेगावाट में)

विवरण	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
स्थापित क्षमता (मेगावाट में) योग (म प्र का अंश)	2900.5	2940.5	2990.5	2990.5	3000.1
ताप विद्युत	2147.5	2147.5	2147.5	2147.5	2147.5
जल विद्युत	753.0	793.0	843.10	843.10	852.7
केन्द्रीय सेक्टर पावर स्टेशनों में मप्र राज्य विद्युत मण्डल का अंश	1878.45	1878.45	1840.37	1840.37	1770.32

(स्त्रोत : वित्तीय वर्ष 05–06 की टैरिफ याचिका)

म.प्र. शासन ने राज्य में वृहद जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किये जाने की दिशा में एक प्रशंसनीय कदम उठाया है। इन्दिरा सागर तथा सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजनाऐं वित्तीय वर्ष 06 में चालू की जा चुकी हैं। ओंकारेश्वर परियोजना वर्ष 2007 में चालू होने की संभावना है। अतः उपरोक्त तालिका में दर्शाई स्थापित क्षमता के अतिरिक्त, राज्य इन परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त जल–विद्युत क्षमता से भी लाभान्वित होगा जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

जल विद्युत परियोजना का नाम	क्षमता मेगावाट में	म.प्र.का अंश	रिमार्क
इन्दिरा सागर परियोजना	1000 मेगावाट	1000 मेगावाट	यह एनएचडीसी तथा म.प्र.शासन के मध्य एक संयुक्त उपक्रम परियोजना है जिसे एनएचडीसी द्वारा निर्मित किया गया है।
सरदार सरोवर परियोजना	1450 मेगावाट	826.5 मेगावाट (57%)	यह एक संयुक्त उपक्रम परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है 250 मेगावाट की केनल–बेड इकाईयां तथा 5* 200 मेगावाट रिवर–बेड इकाईयां उपयोग में आ चुकी हैं , जबकि शेष 1* 200 मेगावाट की इकाई इस वर्ष में उपयोग हेतु तैयार हैं।
ओंकारेश्वर परियोजना	520 मेगावाट	520 मेगावाट	यह एन एच डी सी तथा म.प्र. शासन के मध्य एक संयुक्त उपक्रम परियोजना है जिसका निर्माण कार्य एन.एच.डी.सी. द्वारा किया जा रहा है तथा यह वर्ष 2007–08 में स्थापित होने की संभावना है।

(ब) <u>ताप विद्युत उत्पादन की क्षमता</u>

पावर स्टेशन का नाम	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
अमरकंटक–प्रथम	50	50	50	50	50
अमरकंटक–द्वितीय	240	240	240	240	240
सतपुड़ा – प्रथम (म.प्र. का अंशदान)	187.5	187.5	187.5	187.5	187.5
सतपुड़ा – द्वितीय	410	410	410	410	410

सतपुड़ा – तृतीय	420	420	420	420	420
संजय गांधी बिरसिंहपुर – प्रथम	420	420	420	420	420
संजय गांधी बिरसिंहपुर – द्वितीय	420	420	420	420	420

(स्त्रोत – टैरिफ याचिका, वित्तीय वर्ष 05–06)

(स) जल विद्युत उत्पादन की क्षमता :

पावर स्टेशन का नाम	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
गांधी सागर	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
राणा प्रताप सागर	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0
जवाहर सागर	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
पेंच	107	107	107	107	107
रानी अवंति बाई – बरगी	90	90	90	90	90
बाण सागर – प्रथम (टोंस)	315	315	315	315	315
बिरसिंहपुर	20	20	20	20	20
राजघाट	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5
बाणसागर – तृतीय (देवलोंद)	-	40	60	60	60
बाणसागर – द्वितीय (सिलपारा)	-	-	30	30	40

(स्त्रोत – टैरिफ याचिका, वित्तीय वर्ष 05–06)

(द) मिनी/माईक्रो – जल विद्युत उत्पादन क्षमता

पावर स्टेशन का नाम	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
मोरअंद	1	1	1	1	1
सतपुड़ा	1	1	1	1	1
तिलवाड़ा	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
चारगांव जटलापुर	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
भीमगढ़	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4

(स्त्रोत : टैरिफ याचिका, वित्तीय वर्ष 05–06)

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की क्षमता वृद्धि योजना –

स्टेशन	प्रकार	नियोजित क्षमता	म.प्र. का अंश	कार्य पूर्ण होने की नियोजित तिथि	अद्यतन स्थिति
झिन्ना (बाणसागर चतुर्थ)	जल विद्युत	20.0	100%	वित्तीय वर्ष 06–07 में	निर्माणाधीन
मढ़ीखेड़ा	जल विद्युत	60.0	100%	वित्तीय वर्ष 06–07 में	निर्माणाधीन
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन बिरसिंहपुर–पंचम	ताप विद्युत	500.0	100%	वित्तीय वर्ष 06–07में	निर्माणाधीन
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चचई पंचम	ताप विद्युत	210.0	100%	वित्तीय वर्ष 06–07में	निर्माणाधीन
योग :		790.0			

(स्त्रोत – टैरिफ याचिका, वित्तीय वर्ष 05–06)

राज्य में उत्पादन स्टेशनवार स्थापित क्षमता का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

स्टेशन	स्थापित क्षमता वर्ष 2004–05	म.प्र. का अंश	अन्य राज्यों का अंश		
			मेगावाट में	प्रतिशत	राज्य का नाम
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन, चचई	290.0	290.0	0.0		
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारणी (पावर हाऊस–प्रथम)	312.5	187.5	125.0	40.0%	राजस्थान
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारणी (पावर हाऊस–द्वितीय एवं तृतीय)	830.0	830.0	0.0		
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन बिरसिंहपुर	840.0	840.0	0.0		
कुल योग – ताप विद्युत	2272.5	2147.5	125.0	5.5%	
गांधी सागर	115.0	57.5	57.5	50.0%	राजस्थान
राणा प्रताप सागर	172.0	86.0	86.0	50.0%	राजस्थान
जवाहर सागर	99.0	49.5	49.5	50.0%	राजस्थान
पेंच	160.0	106.7	53.3	33.3%	महाराष्ट्र
बाणसागर काम्पलेक्स	405.0	405.0	0.0		

स्टेशन	स्थापित क्षमता वर्ष 2004–05	म.प्र. का अंश	अन्य राज्यों का अंश		
			मेगावाट में	प्रतिशत	राज्य का नाम
बिरसिंहपुर	20.0	20.0	0.0		
बरगी	90.0	90.0	0.0		
राजघाट	45.0	22.5	22.5	50.0%	उत्तरप्रदेश
कुल योग – जल विद्युत	1106.0	837.2	133.3	15.8%	
मिनी – माईक्रो	5.5	5.5	0.0		
कुल क्षमता	3384.0	2990.2	393.8	11.63%	

(स्त्रोत – टैरिफ याचिका, वित्तीय वर्ष 05–06)

3.3 विद्युत की उपलब्धि (मिलियन यूनिटों में)

पिछले पांच वर्षों में कुल विद्युत उपलब्धता औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.83 प्रतिशत के अनुसार 26535 मिलियन यूनिटों से बढ़कर 30290 मिलियन यूनिट हो गई है ।

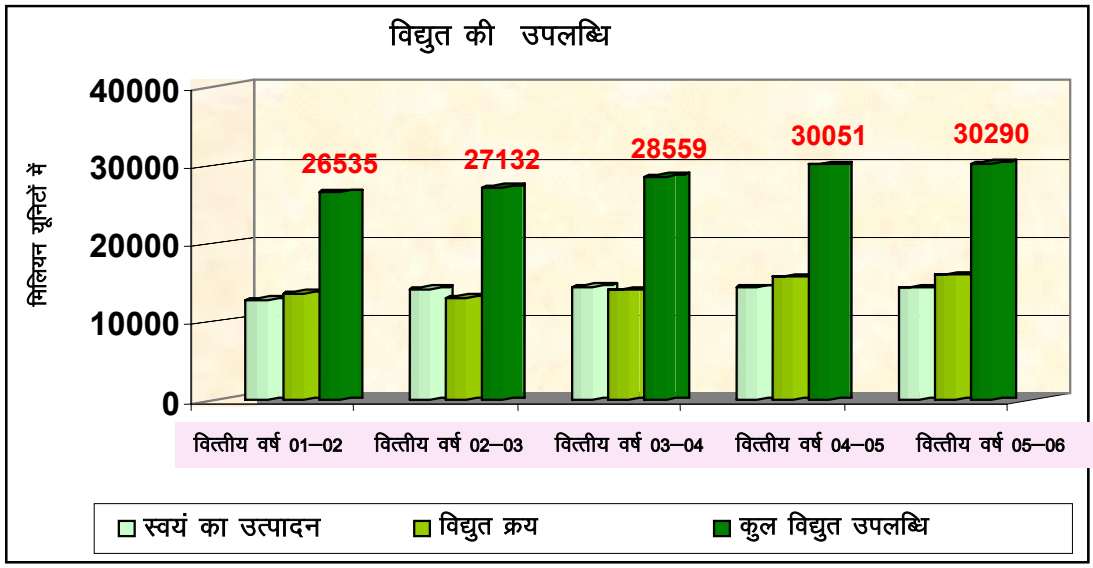

विद्युत उपलब्धि का वर्ष वार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैं :–

विवरण	वित्तीय वर्ष 02	वित्तीय वर्ष 03	वित्तीय वर्ष 04	वित्तीय वर्ष 05	वित्तीय वर्ष 06
स्वयं का उत्पादन (मिलियन यूनिटों में)	12851	14130	14523	14364	14317
विद्युत क्रय (मिलियन यूनिटों में)	13684	13002	14035	15687	15973
कुल विद्युत की उपलब्धि (मिलियन यूनिटों में)	26535	27132	28559	30051	30290

(स्त्रोत – टैरिफ याचिका, वित्तीय वर्ष 05–06)

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के पावर स्टेशनों से विद्युत उपलब्धि की मात्रा निम्नानुसार है :

ताप विद्युत उत्पादन स्टेशनों से विद्युत उपलब्धि (मेगावाट में)

विवरण		01-02 वास्तविक	02-03 वास्तविक	03-04 वास्तविक	04-05 वास्तविक	05-06 प्राक्कलित
अमरकंटक ताप विद्युत पावर स्टेशन, चचई	पावर हाऊस क्रमांक – 1	91	199	157	142	155
	पावर हाऊस क्रमांक – 2	787	1091	872	906	950
	योग :	878	1290	1030	1048	1105
सतपुड़ा ताप विद्युत पावर स्टेशन, सारणी	पावर हाऊस क्रमांक – 1	1808	1997	1919	1919	1860
	पावर हाऊस क्रमांक – 2	2598	2475	2453	2368	2481
	पावर हाऊस क्रमांक – 3	2260	2724	2645	2694	2518
	योग	6666	7196	7018	6981	6859
संजय गांधी ताप विद्युत पावर स्टेशन, बिरसिंहपुर	पावर हाऊस क्रमांक – 1	1469	2051	2050	2209	2278
	पावर हाऊस क्रमांक – 2	2285	2628	2535	2754	2681
	योग	3754	4679	4586	4963	4958
मप्र राज्य विद्युत मण्डल	योग	11298	13165	12633	12993	12922
	अंश	10575	12366	11865	12225	12178

(स्त्रोत : टैरिफ याचिका, वित्तीय वर्ष 05–06)

वित्तीय वर्ष 06 तक ताप विद्युत उत्पादन में वृद्धि दर, वित्तीय वर्ष 02 की तुलना में लगभग 15.15 प्रतिशत रही है ।

जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों से विद्युत उपलब्धि (मिलियन यूनिटों में)

विवरण		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (प्राक्कलित)
चम्बल	गांधी सागर	114.21	38.92	142.74	369.00	369.00
	राणा प्रताप सागर	259.48	9.82	239.86	287.12	287.12

	जवाहर सागर	199.10	16.63	193.42	224.55	224.55
	योग (चम्बल)	**572.79**	**65.37**	**576.02**	**880.67**	**880.67**
	म.प्र. चम्बल	**286.40**	**32.69**	**288.01**	**440.34**	**440.34**
पेंच	पेंच	137.04	338.98	463.52	224.00	224.00
	म.प्र. पेंच	**91.36**	**226.00**	**309.03**	**149.34**	**149.34**
राजघाट	राजघाट	104.75	67.66	141.80	70.00	70.00
	म.प्र. राजघाट	**52.38**	**33.83**	**70.90**	**35.00**	**35.00**
बरगी			521.51	452.95	585.82	466.00
बाणसागर–प्रथम (टोंस)			1253.88	869.83	1121.73	844.00
बाणसागर–द्वितीय (सिलपारा)				50.07	85.62	61.00
बाणसागर–तृतीय (देवलोंद)			41.29	47.13	108.39	77.00
बाणसागर–चतुर्थ (झिन्ना)						
मढ़ीखेड़ा						
बिरसिंहपुर			36.07	25.02	62.88	40.00
योग		**2282.88**	**1768.51**	**2663.38**	**2143.68**	**2143.68**

(स्त्रोत : टैरिफ याचिका वित्तीय वर्ष 05–06)

जल विद्युत उत्पादन, मुख्यतः वर्षा के ऊपर निर्भर है । केवल वर्ष 02–03 को छोड़कर सामान्य रूप से जल–विद्युत उत्पादन का योगदान अच्छी वर्षा के फलस्वरूप अच्छा रहा है।

3.4 राज्य में ताप ऊर्जा उत्पादन स्टेशनों का संयंत्र उपयोगिता कारक (प्लांट यूटिलाईजेशन फेक्टर)

विवरण		01-02	02-03	03-04	04-05	05-06
		वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	प्राक्कलित
अमरकंटक ताप विद्युत पावर स्टेशन, चचई	योग	39.0%	56.8%	45.9%	47.0%	49.2%
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारणी .	योग	73.1%	78.8%	76.9%	76.5%	75.2%
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन, बिरसिंहपुर	योग	57.3%	71.0%	69.5%	74.8%	74.6%
म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल	**योग**	**62.9%**	**73.1%**	**70.2%**	**72.1%**	**71.7%**
	अंशदान	**62.3%**	**72.7%**	**69.8%**	**71.8%**	**71.5%**

(स्त्रोतः टैरिफ याचिका वष05–06')

विगत पांच वर्षों में संयंत्र उपयोगिता कारक में काफी हद तक सुधार आया है । संयंत्र उपयोगिता कारक कोयले की गुणवत्ता तथा संयंत्र की आयु पर निर्भर करता है । विद्युत उत्पादन में अवरोध को रोकने के लिये इनका नियमित संधारण आवश्यक होता है । इनमें नवीनीकरण द्वारा, जहां–जहां ये आवश्यक हैं, सुधार लाये जाने की और अधिक गुंजाईश है । आयोग भी इस संबंध में टैरिफ आदेश जारी करते समय प्रगति की निरंतर समीक्षा करता रहा है तथा इनमें और अधिक सुधार लाये जाने की दृष्टि से मापदण्डों पर निर्णय लेता रहा है ।

3.5 शीर्ष (पीक) मांग के समय ऊर्जा की कमी –

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत क्षेत्र में शीर्ष मांग (पीक डिमाण्ड) की पूर्ति में कमी तथा ऊर्जा आपूर्ति में कमी की स्थिति निम्नानुसार है :

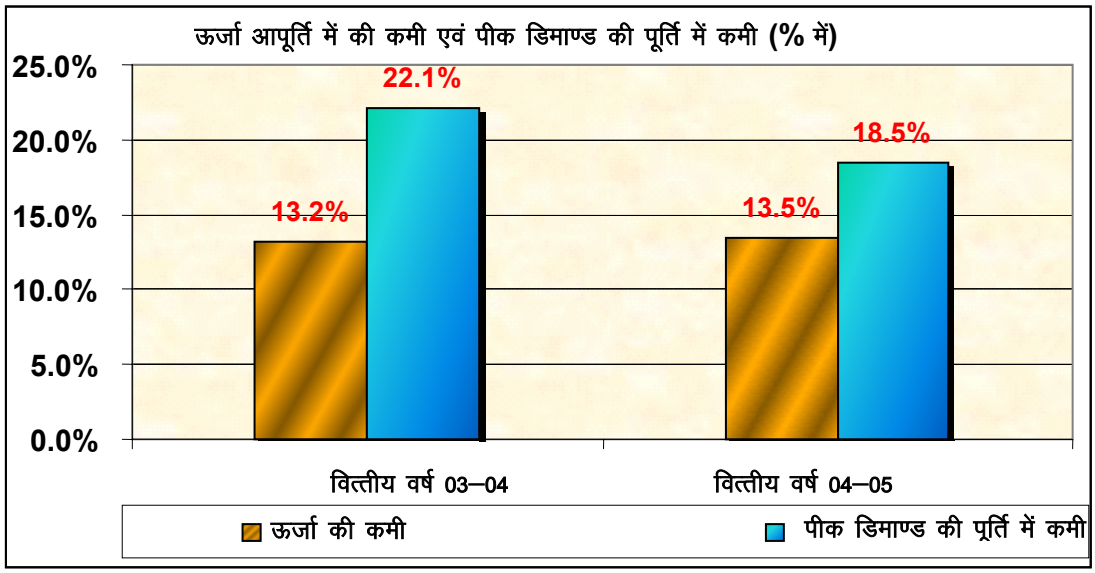

(स्त्रोत : ऊर्जा मन्त्रालय की वैबसाईट)

निम्न तालिका विद्युत आवश्यकता, उपलब्धता तथा कमी संबंधी विवरण दर्शाती है ।

विद्युत प्रदाय की स्थिति		वित्तीय वर्ष 03–04	वित्तीय वर्ष 04–05
ऊर्जा मिलियन यूनिट में	आवश्यकता	32744	34810
	उपलब्धि	28417	30097
	कमी (प्रतिशत)	13.2%	13.5%
पीक डिमाण्ड मेगावॉट में	आवश्यकता	6158	5944
	उपलब्धि	4799	4846
	कमी (प्रतिशत)	22.1%	18.5%

नवीन उत्पादन संयंत्रों में प्रस्तावित वृद्धि द्वारा विद्युत कमी के परिदृश्य में सुधार आने की संभावना है । राज्य में इन्दिरा सागर एवं सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजनाओं ने कुछ हद तक राहत प्रदान की है ।

———————

अध्याय – 4

पारेषण तथा वितरण कंपनियों के कार्यो की समीक्षा

राज्य के विद्युत क्षेत्र को घाटे से लाभ की स्थिति में बदलने की दृष्टि से सम्मिलित प्रयासों की नितांत आवश्यकता है । वर्तमान परिदृश्य में राज्य के अनुज्ञप्तिधारियों की कार्यदक्षता में सुधार किये जाने का पहलू अत्यंत प्रासंगिक है । इस अध्याय में आयोग की भूमिका तथा राज्य की पारेषण कंपनी तथा तीनों वितरण कंपनियों द्वारा इस संबंध में किये गये प्रयासों का विश्लेषण किया गया है । इसमें हानियों में कमी किया जाना, राजस्व संग्रहण तथा उपभोक्ता सेवाओं में सुधार जैसे मुख्य विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है । विभिन्न उपभोक्ता श्रेणीवार खपत के रूझानों तथा किये जा रहे विद्युत क्रय से उत्पन्न परिदृश्य की भी यहां चर्चा की गई है ।

4.1 विद्युत क्रय आवश्यकता :

राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं की मांगों की आपूर्ति किये जाने की दृष्टि से विद्युत की आवश्यकता विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है । विद्युत प्रदाय की व्यवस्था स्वयं के उत्पादन द्वारा तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त विद्युत (प्रोक्यूरमेंट) द्वारा, जैसे कि केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों तथा विद्युत व्यापारियों के माध्यम से की जाती है । राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का 70 प्रतिशत से अधिक भाग विद्युत क्रय पर व्यय हो जाता है, अतएव यह बिंदु उपभोक्ता टैरिफ दर पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है जिस पर विशेष ध्यान दिया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 02 से वित्तीय वर्ष 06 के दौरान विद्युत क्रय संबंधी विवरण निम्न आकृति में दर्शाये गये हैं :–

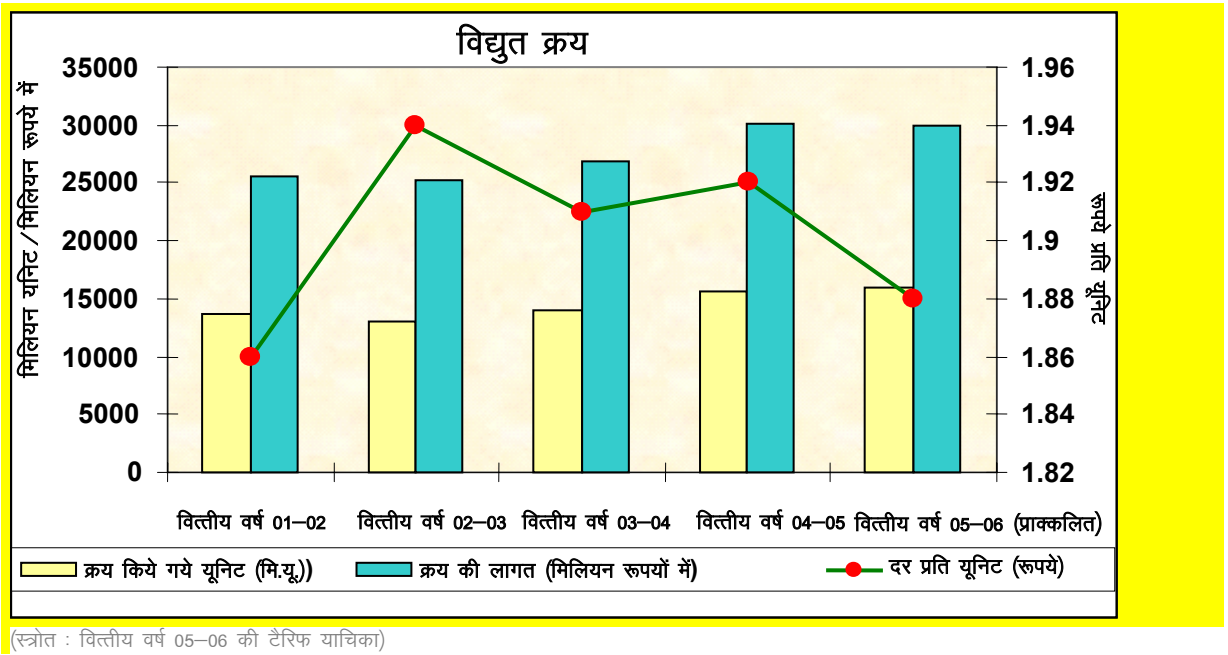

(स्त्रोत : वित्तीय वर्ष 05–06 की टैरिफ याचिका)

विद्युत क्रय का वर्ष वार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

	वित्तीय वर्ष 01–02	वित्तीय वर्ष 02–03	वित्तीय वर्ष 03–04	वित्तीय वर्ष 04–05	वित्तीय वर्ष 05–06 (प्राक्कलित)
क्रय किये गये यूनिटों की मात्रा (मिलियन यूनिट में) राज्य के स्वयं उत्पादन को छोडकर	13684	13002	14035	15687	15972
क्रय की लागत (मिलियन रूपये में)	25578.8	25184.0	26798.4	30133.4	30023.5
दर प्रति यूनिट (रूपये)	1.86	1.94	1.91	1.92	1.88

(स्त्रोत : वित्तीय वर्ष 05–06 की टैरिफ याचिका)

जैसा कि उपरोक्त आकृत/तालिका से स्पष्ट है, विद्युत क्रय दर में यद्यपि विगत समय में कुछ वृद्धि हुई है परन्तु कुल क्रय की लागत में विद्युत मांग बढ़ने से निरंतर वृद्धि हो रही है । अतः तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम किया जाना अत्यावश्यक है ताकि विद्युत क्रय की बढ़ती हुई लागत को रोका जा सके तथा उपलब्ध विद्युत का दक्षता से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके ।

4.2 विद्युत विक्रय :

विगत पांच वर्षों में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को की गई विद्युत विक्रय की प्रवृत्ति निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

स.क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 01–02	वित्तीय वर्ष 02–03	वित्तीय वर्ष 03–04	वित्तीय वर्ष 04–05	वित्तीय वर्ष 05–06 (प्राक्कलित) (समस्त वितरण कंपनियों की समेकित मात्रा)
	निम्न दाब उपभोक्ता श्रेणी					
1	घरेलू	3210.8	3243.1	3311.3	3754.9	4033.53
2	गैर–घरेलू	596.8	651.6	688.0	804.7	902.04
3	औद्योगिक	658.1	669.6	650.6	678.3	727.55
4	कृषि	4175.5	4965.5	4957.9	5319.6	5462.28
5	पथ–प्रकाश	124.8	121.2	126.9	124.3	127.45
6	जल प्रदाय	152.1	154.3	163.3	195.0	220.62

	कुल निम्न दाब	8918.1	9805.3	9897.9	10876.7	11473.47
	उच्च दाब उपभोक्ता श्रेणी					
1	रेलवे ट्रेक्शन	1142.5	1255.7	1267.3	1392.3	1477.97
2	कोयला खदानें	519.8	510.7	541.6	544.0	554.01
3	औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक	2458.63	2458.58	2552.69	2785.60	2991.19
4	ऋतु आधारित (सीजनल)					53.60
5	उच्च दाब सिंचाई एवं जल प्रदाय संयंत्र	304.44	289.28	298.39	326.94	340.27
6	टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनियां	808.9	428.5	449.7	504.1	605.06
7	**कुल उच्च दाब**	5752.2	5475.1	5721.7	6227.8	6549.00
	कुल विक्रय	**14686.9**	**15283.2**	**15622.2**	**17106.1**	**18022.47**

(स्त्रोत : टैरिफ याचिका, वित्तीय वर्ष 05–06)

निम्न आकृति वित्तीय वर्ष 05–06 में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों द्वारा खपत की गई विद्युत मात्रा का अंश वितरण दर्शाती है :

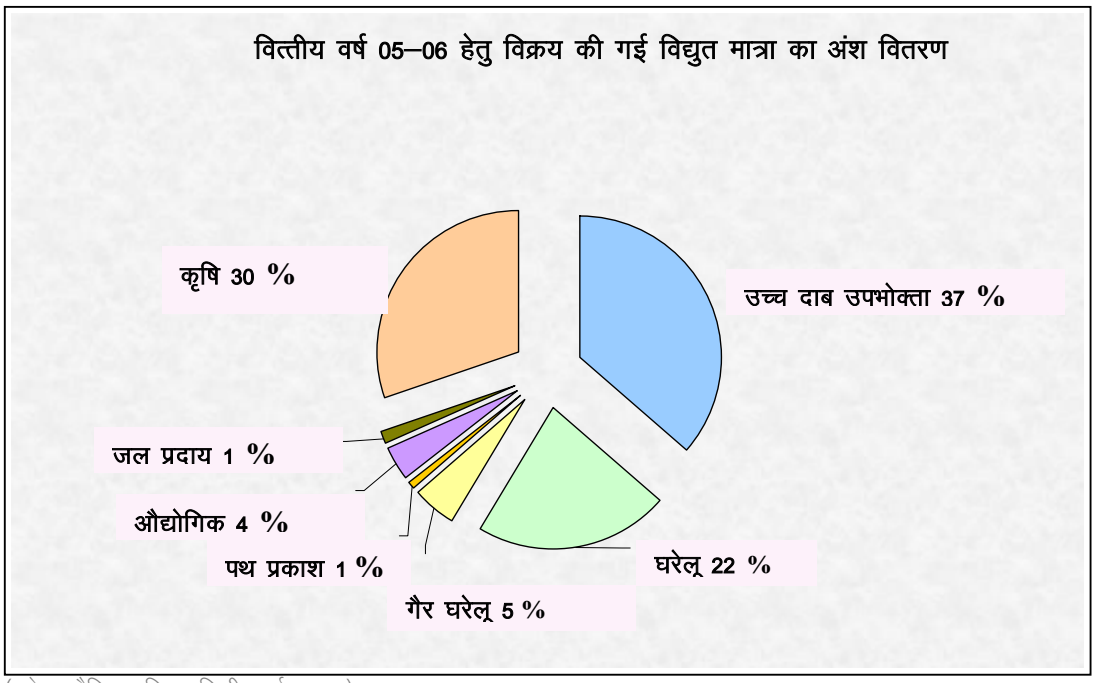

(स्त्रोत : टैरिफ याचिका, वित्तीय वर्ष 05–06)

उपरोक्त विवरण के अवलोकन द्वारा ज्ञात होता है कि निम्न दाब उपभोक्ताओं द्वारा की जा रही खपत कुल खपत का 60 प्रतिशत है । कृषि तथा घरेलू उपभोक्ता श्रेणी को विक्रित विद्युत मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । इन दोनों उपभोक्ता श्रेणियों में काफी बड़ी संख्या में विद्युत कनेक्शन बगैर मीटर के जारी हैं । विद्युत अधिनियम 2003 में निर्देशित किया गया है कि इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से दो वर्ष के बाद, विद्युत प्रदाय मीटर द्वारा ही किया जाना है । आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 03 की धारा 55 के द्वितीय उपबंध में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों के अनुरोध पर, बिना मीटरयुक्त संयोजनों को शत्–प्रतिशत मीटरीकृत किये जाने की समय अवधि में वृद्धि की गई है । बिना मीटरयुक्त घरेलू संयोजनों का शत् प्रतिशत मीटरीकरण म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा माह दिसम्बर 2005 के अन्त तक तथा अन्य दो वितरण कंपनियों के द्वारा मार्च, 2006 तक किया जाना है । कृषि संयोजनों के प्रकरणों में, शत् प्रतिशत मीटरीकृत किये जाने की समय सीमा माह मार्च 2007 रखी गई है । वितरण कंपनियों द्वारा शत् प्रतिशत मीटरीकरण किये जाने संबंधी प्रस्तुत किया गया प्रगति प्रतिवेदन संतोषप्रद नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि अनुज्ञप्तिधारी बढ़ाई गई समय सीमा के अन्दर शत् प्रतिशत मीटरीकरण का कार्य पूरा नहीं कर पायेंगे।

4.3 राजस्व मांग :

वित्तीय वर्ष 02 से वित्तीय वर्ष 06 तक विभिन्न श्रेणियों की उपभोक्ता श्रेणीवार राजस्व मांग निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

(करोड़ रूपये में)

स.क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 01–02	वित्तीय वर्ष 02–03	वित्तीय वर्ष 03–04	वित्तीय वर्ष 04–05	वित्तीय वर्ष 05–06
	निम्न दाब उपभोक्ता श्रेणी					
1	घरेलू	596.97	714.00	983.39	1048.33	1357.87
2	गैर–घरेलू	312.43	366.35	424.83	470.92	512.70
3	औद्योगिक	266.21	300.36	340.30	359.11	366.53
4	कृषि	351.76	416.55	531.21	1161.88	1379.53
5	पथ–प्रकाश	27.76	34.37	39.59	40.13	45.64
6	जल प्रदाय	32.49	42.99	53.07	62.08	68.92
	कुल निम्न दाब (अन्य श्रेणियों को सम्मिलित कर)	**1587.53**	**1923.62**	**2372.40**	**3142.5**	**3731.09**
	उच्च दाब उपभोक्ता श्रेणी					
1	रेलवे ट्रेक्शन	545.32	604.02	599.32	643.79	656.41

2	कोयला खदानें	227.41	241.21	275.66	273.18	273.25
3	औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक	1195.00	1278.75	1403.47	1533.76	1636.09
4	ऋतु आधारित (सीजनल)			25.16	28.31	28.55
5	उच्च दाब सिंचाई एवं जल प्रदाय संयंत्र	83.38	84.75	89.70	94.77	94.52
6	टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनियां	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	79.16	93.25	105.05
7	छूट प्राप्तकर्ताओं को विपुल प्रदाय	65.97	67.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
8	**कुल उच्च दाब**	**2119.31**	**2276.42**	**2473.40**	**2667.45**	**2794**
	कुल राजस्व मांग	**3706.84**	**4200.04**	**4845.81**	**5809.90**	**6526**

(स्त्रोत : टैरिफ याचिका, वित्तीय वर्ष 05–06)

निम्न आकृति वित्तीय वर्ष 05–06 में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों की राजस्व मांग का अंश वितरण दर्शाती है :

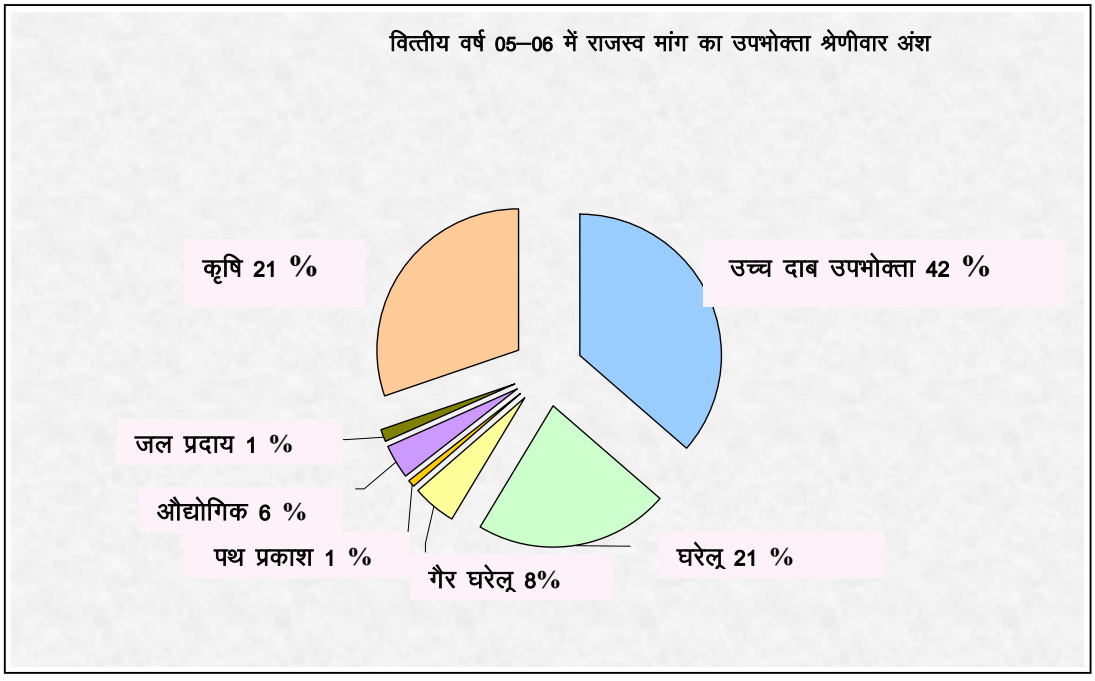

(स्त्रोत : टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 05–06)

4.4 पारेषण एवं वितरण हानियां :

(अ) पारेषण हानियां :

पारेषण कंपनी की हानियां निम्नानुसार प्रतिवेदित की गई हैं :

वित्तीय वर्ष 04–05 : 5.62 प्रतिशत (वास्तविक)

वित्तीय वर्ष 05–06 : 5.22 प्रतिशत (प्राक्कलित)

आयोग द्वारा आगामी वर्षों में निम्नानुसार पारेषण हानियों के लक्ष्य निर्धारित किये हैं तथा वह अपेक्षा करता है कि ट्रांसमीशन कंपनी हानियों के निर्धारित स्तर समय–सीमा के अन्तर्गत प्राप्त कर लेगी :

वित्तीय वर्ष 06–07 : 5.00 प्रतिशत

वित्तीय वर्ष 07–08 : 4.90 प्रतिशत

वित्तीय वर्ष 08–09 : 4.90 प्रतिशत

(ब) वितरण हानियां :

आयोग द्वारा उसके द्वारा जारी मप्रविनिआ (विद्युत वितरण तथा खुदरा व्यापार के टैरिफ निर्धारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 में आगामी तीन वर्षों की वितरण हानियों के लक्ष्य स्तर निर्धारित किये गये हैं जैसा कि निम्न तालिका में प्रदर्शित है :

(प्रतिशत में)

वितरण कंपनी	वित्तीय वर्ष 05–06	वित्तीय वर्ष 06–07	वित्तीय वर्ष 07–08	वित्तीय वर्ष 08–09
पूर्व क्षेत्र	35.50	32.50	29.50	26.50
पश्चिम क्षेत्र	31.70	30.00	27.50	25.00
मध्य क्षेत्र	41.60	38.00	34.50	31.00

टैरिफ आदेश वर्ष 2006–07 तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित तालिका में आकलित हानि, वास्तविक हानि तथा आयोग द्वारा निर्धारित हानि के लक्ष्य का वर्ष 2005–06 का विवरण दिया गया है ।

(प्रतिशत में)

वितरण कंपनी	प्राक्कलित हानियां (वित्तीय वर्ष 05–06)	वास्तविक हानियां (अप्रैल 05 से मार्च 06तक)	वित्तीय वर्ष 05– 06 हेतु लक्ष्य (आयोग के विनियम पर आधारित)
पूर्व क्षेत्र	35.50%	36.59%	35.50%
पश्चिम क्षेत्र	31.50%	31.88%	31.70%
मध्य क्षेत्र	41.60%	43.41%	41.60%

(स्त्रोत : वित्तीय वर्ष 06–07 का टैरिफ आदेश तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पारेषण तथा वितरण हानि संबंधी प्रतिवेदन)

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वितरण कंपनियां निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नही कर सकीं है ।

निम्न तालिका वृत्त–वार वितरण हानियां (उच्च दाब वितरण को शामिल करते हुए) (माह अप्रैल, 05 से मार्च 06 तक की अवधि हेतु) दर्शाती है :

पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी		पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी		मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी	
वृत्त	उच्च दाब सहित प्रतिशत हानियां	वृत्त	उच्च दाब सहित प्रतिशत हानियां	वृत्त	उच्च दाब सहित प्रतिशत हानियां
टीकमगढ़	54.44%	शाजापुर	37.02%	मुरैना	53.43%
सागर	47.39%	धार	36.42%	शिवपुरी	51.65%
रीवा	47.17%	इन्दौर शहर वृत्त	35.41%	गुना	50.70%
मण्डला	43.67%	देवास	35.20%	राजगढ़	46.37%
नरसिंहपुर	43.16%	बड़वानी	34.70%	ग्वालियर (संचालन एवं संधारण)	44.92%
सतना	40.53%	खरगौन	34.21%	ग्वालियर शहर वृत्त	44.03%
दमोह	40.41%	उज्जैन	34.02%	भोपाल शहर वृत्त	44.03%
जबलपुर (संचालन एवं संधारण)	38.37%	मन्दसौर	33.23%	विदिशा	41.17%
छतरपुर	37.68%	रतलाम	32.26%	सीहोर	40.09%
सिवनी	36.88%	इन्दौर (संचालन एवं संधारण)	27.26%	होशंगाबाद	39.08%
जबलपुर शहर वृत्त	34.45%	झाबुआ	24.97%	बैतूल	34.39%
कटनी	32.57%	खण्डवा	24.59%	भोपाल (संचालन एवं संधारण)	31.52%
शहडोल	22.03%	नीमच	23.74%		
छिन्दवाड़ा	21.55%				
सीधी	19.38%				

(स्त्रोत : टैरिफ याचिका, वर्ष 06–07)

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि हानियों का प्रतिशत कहीं बहुत ज्यादा है जैसे टीकमगढ़ वृत्त 54.44 प्रतिशत, तो कहीं काफी अच्छा है जैसे सीधी वृत्त 19.38 प्रतिशत।

राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुच्छेद 5.4.6 के अनुसार हानि के स्तर वर्ष 2012 तक अर्न्तराष्ट्रीय स्तरों तक लाया जाना निर्धारित किया गया है । इसका तात्पर्य वर्तमान स्तर से हानियों में उल्लेखनीय कमी लाया जाना है । आयोग का वितरण कंपनियों से निरंतर संवाद जारी है तथा उन्हें हानियों में कमी लाये जाने के संबंध में ठोस कदम उठाने बाबत् निर्देशित किया गया है । अभी तक आशाजनक परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए हैं । इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारियों को आयोग की चिन्ता से अवगत करा दिया गया है । जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, आयोग द्वारा बहु–वर्षीय टैरिफ के अन्तर्गत हानियों संबधी मापदण्डों पर विचार किया जा रहा है जिन्हें वर्ष–दर–वर्ष आधार पर, बहुवर्षीय टैरिफ की नियंत्रण अवधि में प्राप्त करना होगा तथा टैरिफ निर्धारण के समय हानियों को स्वीकृत स्तर तक ही अनुमति दी जावेगी । अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यदि दक्षता में निश्चित सुधार का प्रदर्शन नहीं किया तो उन्हे निर्धारित स्तर के अतिरिक्त हुई हानियों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है । उन क्षेत्रों में जहां हानियों का स्तर तुलनात्मक रूप से अधिक है, अनुज्ञप्तिधारियों को कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

4.5 वार्षिक व्यय :

निम्न तालिका राज्य के समस्त अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किये गये व्यय जिन्हें एकमुश्त लिया गया है, स्थिति का वर्तमान परिदृश्य प्रस्तुत करती है :–

विवरण	वित्तीय वर्ष 02–03	वित्तीय वर्ष 03–04	वित्तीय वर्ष 04–05	वित्तीय वर्ष 05–06 (प्राक्कलित)
उत्पादन व्यय	1239.89	1250.77	1464.57	1474.42
विद्युत क्रय की लागत	2518.39	2679.84	3013.33	3002.34
प्रशासन तथा सामान्य व्यय	68.10	68.65	79.98	115.08
कर्मचारी लागत	769.10	988.99	1067.41	1093.39
मरम्मत तथा संधारण लागत	166.69	157.32	264.43	360.51
ब्याज तथा वित्त प्रभार	488.20	660.74	451.88	525.38
अवमूल्यन	484.70	476.20	533.41	599.25
अन्य व्यय/पूर्व अवधि प्रभार	0.01	-173.68	0	0
योग	5832.60	6132.20	6899.21	7310.42
प्रतिलाभ दर (त्व्)/पूंजी पर प्रतिलाभ (त्व)	132	137	152	175
घटायें : अन्य आय	224.67	416.66	338.09	348.54
कुल राजस्व आवश्यकता	5739.1	5852.44	6713.12	7136.88

(स्त्रोत: टैरिफ पत्रिका, वित्तीय वर्ष 05–06)

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, कुल खर्चों में वृद्धि का मुख्य कारण विद्युत क्रय लागत में वृद्धि है । पिछले चार वर्षों में विद्युत क्रय लागत रू. 2518 करोड़ से बढ़कर रू. 3002 करोड़ हो गई है । कर्मचारी लागत में भी वृद्धि हुई है ।

निम्न आकृति वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राक्कलित व्यय का अंश दर्शाती है :

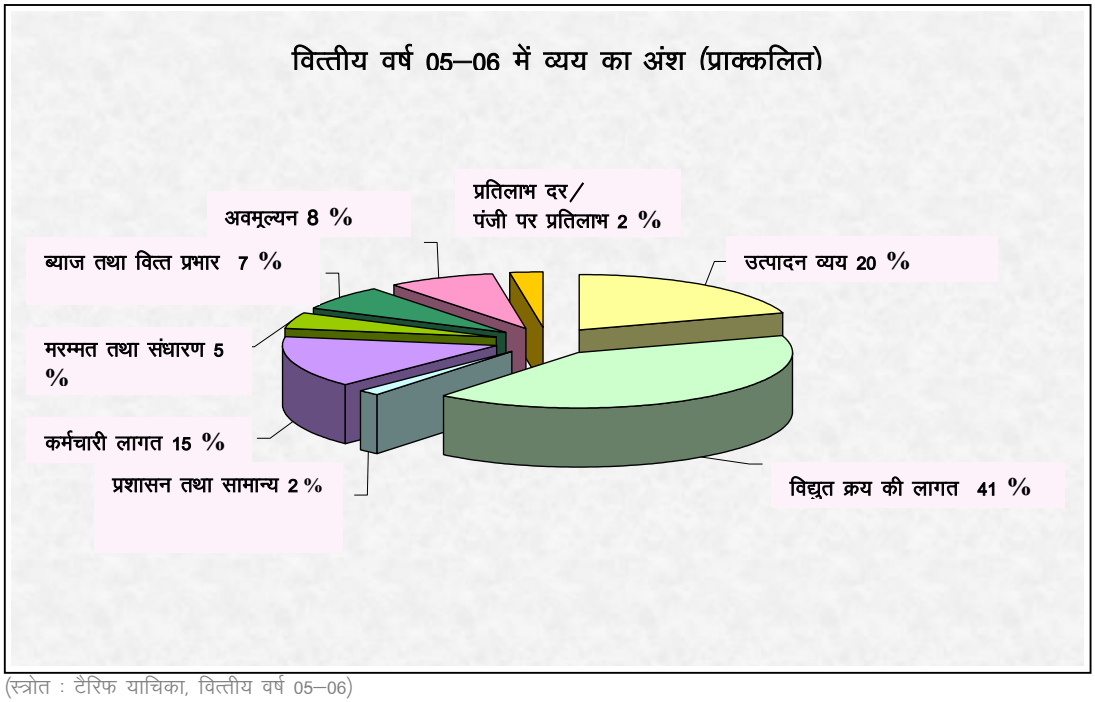

(स्त्रोत : टैरिफ याचिका, वित्तीय वर्ष 05–06)

4.6 विद्युत प्रदाय की लागत :

टैरिफ का निर्धारण विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों हेतु विद्युत प्रदाय की लागत पर आधारित होता है, अर्थात् उत्पादन/विद्युत प्रदाय की प्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट), उसके पारेषण तथा वितरण पर किया गया व्यय जिसमें उपभोक्ताओं की मीटरिंग वाचन तथा बिलिंग आदि पर प्रदाय सेवाओं पर किया गया व्यय भी सम्मिलित है। विगत वर्षों में वर्षवार प्रति यूनिट विद्युत की लागत की प्रवृत्ति निम्नानुसार रही है :

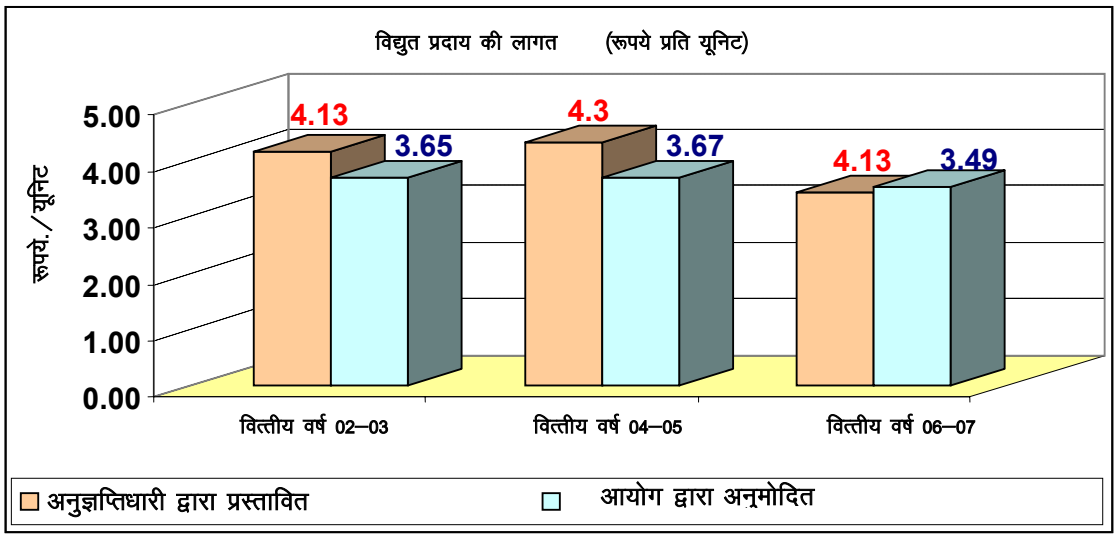

(स्त्रोत : टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष02–03,वित्तीय वर्ष 04–05,वित्तीय वर्ष 06–07)

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित विद्युत प्रदाय की लागत तथा आयोग द्वारा किये अनुमोदन में अन्तर होने का मुख्य कारण आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित किये गये व्ययों में से केवल दक्ष लागतों को ही स्वीकृत किया जाना है । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित लागत में कमी कर स्वीकृत किये जाने के अतिरिक्त आयोग द्वारा, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित हानियों के बजाय केवल हानि के स्वीकृत स्तरों पर ही लागत का निर्धारण किया है जिससे उपभोक्ताओं पर अनुज्ञप्तिधारी की कार्यदक्षता में कमी का भार न पड़े ।

4.7 सेवाओं की गुणवत्ता :

4.7.1 फेल ट्रांसफार्मर :

अनुज्ञप्तिधारी ट्रांसफार्मरों की ज्यादा संख्या में फेल होने की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, विशेषकर वितरण ट्रांसफार्मरों के प्रकरणों में । निम्न आकृति विगत वर्षों में असफल हुए वितरण ट्रांसफार्मरों की दर दर्शाती है :

निम्न आकृति विगत वर्षों में असफल हुए वितरण ट्रांसफार्मरों की दर दर्शाती है :

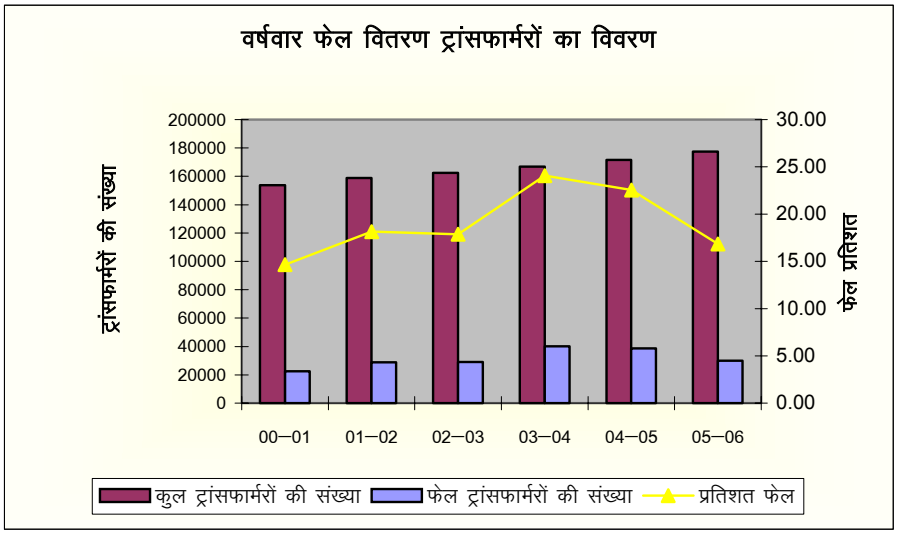

(स्त्रोत : टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 04–05, अनुज्ञप्तिधारियों के विभिन्न एम आई एस प्रतिवेदन)

निम्न आकृति विगत वर्षों में फेल हुए पावर ट्रांसफार्मरों की दर दर्शाती है :

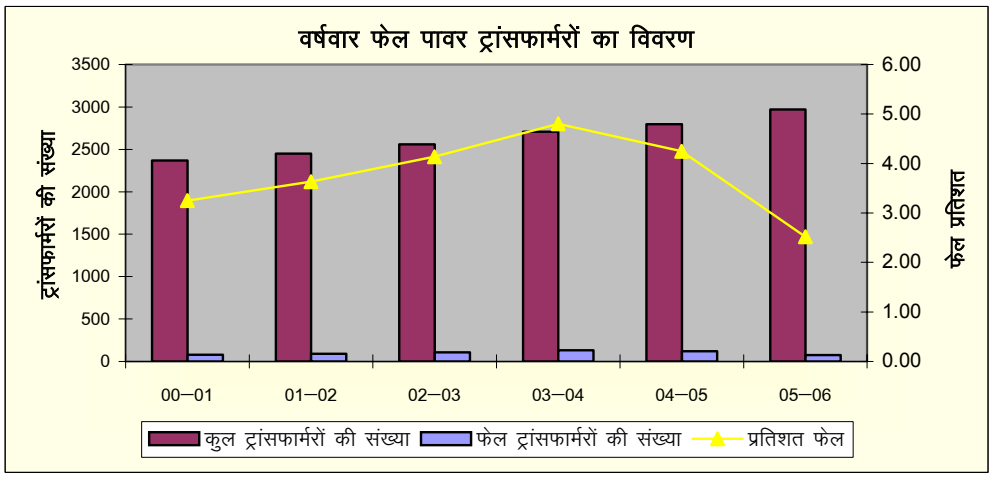

(स्त्रोत : टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 04–05, म.प्र. विनिआ एम आई एस प्रतिवेदन)

उपरोक्त से स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि अधिक संख्या में ट्रांसफार्मर हर साल खराब होते है। माह फरवरी 2004 में आयोग द्वारा गठित कार्यदल, जिसमें आयोग एवं अनुज्ञप्तिधारियों के अधिकारी सम्मिलित थे, द्वारा पाया गया कि ट्रांसफार्मरों की अधिक संख्या में खराब होने का मुख्य कारण ट्रांसफार्मरों पर अत्यधिक भार डाला जाना तथा रख–रखाव का अभाव होना है । आयोग ने कार्यदल में अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारियों से परामर्श कर तथा असफलता दर की

समीक्षा किये जाने पर, ट्रांसफार्मर फेल होने की दर के वर्ष–दर–वर्ष मापदण्ड निर्धारित किये हैं। ये मापदण्ड, जैसा कि वे वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अनुपालन मानदण्डों में अधिसूचित किये गये हैं निम्न तालिका में दर्शायें गये हैं :–

विवरण	वित्तीय वर्ष 05–06 के लिये निर्धारित दर	वित्तीय वर्ष 06–07 के लिये निर्धारित दर	वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान फेल होने की दर
पावर ट्रांसफार्मर	3.25%	2.50%	2.00%
वितरण ट्रांसफार्मर	17.50%	14%	16.90%

वितरण कंपनियों को आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 06–07 के लिये निर्धारित मापदण्डो की तुलना में वित्तीय वर्ष 07–08 से वित्तीय वर्ष 09–10 तक वितरण ट्रांसफार्मरों के असफल होने की संख्या में प्रत्येक वर्ष 2 प्रतिशत कमी लानी होगी। इसी प्रकार पावर ट्रांसफार्मरों के असफल होने की दर में वित्तीय वर्ष 07–08 में 0.5 प्रतिशत की तथा इसके उपरांत वर्ष 09–10 तक प्रत्येक वर्ष 0.25 प्रतिशत की कमी लानी होगी।

4.7.2 दुर्घटनाएं :

निम्न तालिका में विगत 3 वर्षो में हुई दुर्घटनाओं की संख्या दर्शाई गई है :–

वितरण कंपनी	वर्ष	घातक दुर्घटनाऐं			अघातक दुर्घटनाऐं			कुल योग
		विभागीय	बाहरी व्यक्ति	कुल	विभागीय	बाहरी व्यक्ति	कुल	
पूर्व क्षेत्र	2003–04	27	140	167	117	34	151	318
	2004–05	35	187	222	155	28	183	405
	2005–06	26	147	173	122	37	159	332
मध्य क्षेत्र	2003–04	45	125	170	74	71	145	315
	2004–05	26	85	111	108	34	142	253
	2005–06	23	98	121	98	37	135	256
पश्चिम क्षेत्र	2003–04	31	145	176	101	39	140	316
	2004–05	25	102	127	114	44	158	285
	2005–06	15	125	140	107	47	154	294
योग	2003–04	103	410	513	292	144	436	949
	2004–05	86	374	460	377	106	483	943
	2005–06	64	370	434	327	121	448	882

(स्त्रोत : वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत एम.आई.एस. प्रतिवेदन)

आयोग दुर्घटनाओं की अधिक संख्या पर चिंतित है । इस विषय पर आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों के उच्च स्तरीय प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया गया है तथा उन्हें दुर्घटनाओं को रोके जाने के संबंध में आवश्यक पहल कर समुचित कदम उठाये जाने हेतु परामर्श दिया गया है ।

4.7.3 संग्रहण दक्षता, बकाया वसूली योग्य राशि, प्रति यूनिट वसूली दर संग्रहण दक्षता :

विद्युत बिलों की वसूली में कमी एक चिन्ता का विषय रहा है । पिछले तीन वर्षों के प्रतिशत वसूली के आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :–

वर्ष	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
वित्तीय वर्ष 03–04	78.13%	79.26%	87.30%
वित्तीय वर्ष 04–05	82.70%	76.15%	81.19%
वित्तीय वर्ष 05–06	98.42%	82.31%	93.53%

(स्त्रोत : टैरिफ याचिका तथा वित्तीय वर्ष 03–04, वि.व. 04–05 तथा वि.व. 05–06 की एम आई एस रिपोर्ट)

यद्यपि विगत वर्षो में वसूली में वृद्धि परिलक्षित हुई है, तथापि वसूली चालू मांग के अनुरूप हो तथा पुरानी बकाया राशि की वसूली की जावे इस बाबत् अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। चालू मांग की तुलना में वसूली में कमी होने से वसूली योग्य बकाया राशि में वृद्धि हो रही है । अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इस संबंध में प्रभावशाली उपाय किये जाने की आवश्यकता है । वसूली बढ़ाने हेतु मीटर का सही वाचन किया जाना, बिलों का सही समय पर वितरण किया जाना, बकाया राशि वाले कनेक्शनों को विच्छेदित किया जाना तथा बकाया वसूली अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना जैसे मुद्दों पर समुचित ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । कलेक्शन काउन्टरो की पर्याप्त संख्या का होना, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सुविधाएं प्रदाय किया जाना आदि को लागू किये जाने की नितांत आवश्यकता है । इस विषय पर उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न किया जाना भी काफी महत्वपूर्ण पहलू है । अनुज्ञप्तिधारियों को इस संबंध में पहल कर सतत् अभियान किये जाने की आवश्यकता है ।

बकाया राशि :

निम्न तालिका तीनों वितरण कंपनियों की वसूली योग्य बकाया राशि की स्थिति प्रदर्शित करती है :

(करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	दिनांक 31.03.06 की स्थिति में वसूली योग्य राशि	विक्रय दिवसों के रूप में बकाया राशि
	निम्न दाब उपभोक्ता श्रेणी		
1	घरेलू	906	273
2	गैर–घरेलू	136	101
3	औद्योगिक	84	89
4	कृषि	612	305
5	पथ–प्रकाश	43	323
6	जल प्रदाय	49	281
7	**कुल निम्न दाब (अन्य श्रेणियों को सम्मिलित करते हुए)**	**1830**	**231**
	उच्च दाब उपभोक्ता श्रेणी		
1	रेलवे ट्रेक्शन	69	43
2	कोयला खदानें	-11	-15
3	औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक, ऋतु आधारित (सीजनल) को सम्मिलित करते हुए	1071	225
4	उच्च दाब सिंचाई तथा जल प्रदाय व्यवस्था	196	767
	कुल उच्च दाब (अन्य श्रेणियों को सम्मिलित करते हुए)	**1325**	**180**
	कुल वसूली योग्य बकाया राशि	**3155**	**207**

(स्त्रोत : अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत आर–15 विवरण पत्र)

आयोग वसूली योग्य बकाया राशि में बढ़ती हुई प्रवृत्ति से चिन्तित है तथा उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को विभिन्न सुनवाईयों के दौरान तथा विभिन्न टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत वसूली योग्य बकाया राशि में कमी सुनिश्चित किये जाने बाबत् दिशा–निर्देश भी प्रसारित किये हैं । वसूली योग्य बकाया राशि में कमी होने का अर्थ वसूली बढ़ाने से है जिसकी चर्चा पिछले पैरा में की जा चुकी है ।

वसूली प्रति यूनिट :

निम्न दर्शाई गई तुलनात्मक तालिका से ज्ञात होता है कि वितरण दक्षता में सुधार लाये जाने के साथ–साथ राजस्व मांग की वसूली हेतु भी अत्यावश्यक कदमों को उठाये जाने की जरूरत है । जबकि वितरण दक्षता में वृद्धि निश्चित तौर पर विद्युत क्रय आवश्यकता को सीमित रखे जाने में सहायक होगी, राजस्व मांग में की गई दक्ष वसूली, अनुज्ञप्तिधारियों की वाणिज्यिक साध्यता बनाये रखे जाने हेतु अति महत्वपूर्ण है । कार्यदक्षता में स्पष्ट रूप से सुधार लाया जाना अत्यावश्यक है ।

वर्ष	कुल प्राप्त विद्युत प्रदाय (मिलियन यूनिट में)	विद्युत का विक्रय (मिलियन यूनिट में)	प्राप्त विद्युत मात्रा पर वसूली प्रति यूनिट (संग्रहण/प्राप्त ऊर्जा मात्रा (रूपये प्रति यूनिट)
वित्तीय वर्ष 01–02	26535	14686.9	2.66
वित्तीय वर्ष 02–03	27132	15283.2	2.77
वित्तीय वर्ष 03–04	28559	15622.2	2.93
वित्तीय वर्ष 04–05	30051	17106.1	2.94
वित्तीय वर्ष 05–06	30290	18022.5	3.42

अध्याय–5

विनियम अनुपालन की अद्यतन स्थिति :

5.1 विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार आयोग द्वारा विनियम जारी किये गये हैं। इन विनियमों के अन्तर्गत जारी किये गये प्रमुख दिशा–निर्देशों के अनुपालन की संक्षिप्त अद्यतन स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

5.2 ट्रांसमीशन कंपनी के संबंध में विनियम अनुपालन की अद्यतन स्थिति :

सरल क्रमांक	जारी किये गये दिशा–निर्देश	अनुपालन की अद्यतन स्थिति
	म.प्र. विद्युत ग्रिड संहिता	
1	ग्रिड संहिता समीक्षा समिति तथा कार्यान्वयन उप समिति का गठन तथा नियमित बैठकों का आयोजन किया जाना	ग्रिड संहिता समीक्षा समिति तथा कार्यान्वयन उप समितियों का गठन किया जा चुका है । राज्य पारेषण इकाई नियमित रूप से इन बैठकों का आयोजन कर रही है तथा की गई कार्यवाही का ब्यौरा नियमित रूप से प्रस्तुत कर रही है
2.	– राज्य पारेषण इकाई द्वारा भावी 10 वर्षीय पारेषण योजना अद्यतन कर प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाना – वृहद् राज्य पारेषण प्रणाली हेतु पांच वर्षीय योजना तैयार किया जाना जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित राष्ट्रीय ऊर्जा योजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विकसित दीर्घ–अवधि योजना तथा केन्द्रीय पारेषण इकाई द्वारा तैयार 5 वर्षीय योजना के युक्ति युक्त होगी। **प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक प्रस्तुत किया जाना ।**	म.प्र. पावर ट्रांसमीशन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) द्वारा आयोग को वर्ष 2008–09 तक की पांच वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी । आयोग ने टैरिफ आदेश वर्ष 05–06 के साथ वर्ष 05–06 की वार्षिक योजना का भी अनुमोदन कर दिया है । तथापि, पारेषण कंपनी ने उपरोक्त वर्णित योजना को वर्ष 2010–11 तक पुनरीक्षित कर दिया है तथा इसे आयोग को प्रस्तुत कर दिया है । आयोग ने पारेषण कंपनी को उक्त योजना पूंजीगत व्यय पर दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार इसे पुनः प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया है ।
3.	–प्रदाय क्षेत्र के भीतर शक्ति की मांग का पूर्वानुमान करना – राज्य हेतु उत्पादन की आवश्यकता	उपरोक्तानुसार

	का पूर्वानुमान तैयार करना ताकि भार की मांग पूर्वानुमान के अनुरूप हो – रिएक्टिव पावर नियोजन अभ्यास, पारेषण प्रणाली नियोजन हेतु भार प्रवाह (लोड फ्लो), लघु परिपथ (शार्ट सर्किट) एवं अस्थिर स्थायित्व अध्ययन (ट्रांसियेंट स्टेबिलिटी स्टडी) रिले समन्वयन अध्ययन तथा अन्य तकनीकी, प्रणाली संबंधी आकस्मिकता एवं प्रणाली प्रतिबंधों संबंधी शर्तों का अनुसरण करना – राज्य पारेषण ईकाई द्वारा प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक प्रस्तुत की जावेगी	उपरोक्तानुसार
4.	– किसी प्रमुख असफलता पर प्रतिवेदन – इसे अविलंब प्रस्तुत किया जावेगा तथा जांच प्रतिवेदन घटना से दो माह के अन्दर प्रस्तुत किया जावेगा ।	पारेषण कंपनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि इस अवधि में किसी भी प्रकार की असफलता ग्रिड में घटित नहीं हुई ।
सूचना प्रणाली (एम आई एस) विनियम (पारेषण एवं उत्पादन हेतु)		
1.	– निर्दिष्ट किये गये प्रपत्रों पर वर्णनात्मक प्रतिवेदन प्रति त्रैमास में दोनों हार्ड तथा साफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना	म.प्र. पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं म.प्र. पावर ट्रांसमीशन कंपनी लिमिटेड द्वारा एमआईएस प्रपत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।
खुली पहुंच (ओपन एक्सेस) विनियम		
1.	समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) तथा खुली पहुंच क्रेता के बीच अनुबंध किया जाना **– अनुबंध औपचारिकताएं पूर्ण होने के सात दिवस के अन्दर**	पारेषण सेवा अनुबंध जो कि पारेषण कंपनी तथा वितरण कंपनियों के मध्य निष्पादित किये जाना है को वितरण कंपनियों को शीघ्र निष्पादन किये जाने हेतु प्रेषित कर दिया गया है । वर्तमान में केवल एक ही दीर्घ–कालीन खुली पहुंच क्रेता, अर्थात, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एस.ई.जेड) पीथमपुर है । अनुबंध दिनांक 29.1.05 को निष्पादित किया जा चुका है ।
2.	विपुल ऊर्जा पारेषण अनुबंध (Bulk power Transmission Agreement) तथा विपुल ऊर्जा चक्रण अनुबंध (Bulk power Wheeling	खुली पहुंच समिति तथा विवाद निराकरण समिति गठित की जा चुकी हैं । विपुल ऊर्जा पारेषण अनुबंध तथा विपुल ऊर्जा चक्रण अनुबंध को

	Agreement) तथा आवेदन एवं खुली पहुंच प्रदान किये जाने के संबंध में अन्य औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना ।	अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।
3.	दीर्घ–कालीन खुली पहुंच अधिकारों को त्यागने अथवा अन्तरण बाबत तथा विपुल ऊर्जा पारेषण अनुबंध में निर्दिष्ट किये गये दायित्व **– आयोग के अनुमोदन अनुसार तथा उसके द्वारा अवधारित क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान पश्चात**	अद्यतन स्थिति में इस प्रकार का कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।
4.	पारेषण प्रणाली के प्रयोग से हुई वास्तविक ऊर्जा की हानियां **– प्रत्येक अर्द्धवर्ष की समाप्ति से 30 दिवस के भीतर प्रतिवेदित की जावेगी**	पिछले तीन वर्षों में पारेषण हानियां निम्नानुसार हुई : वर्ष 03–04 – 6.12 प्रतिशत वर्ष 04–05 – 5.62 प्रतिशत वर्ष 05–06 – 5.22 प्रतिशत (प्रक्षेपित)
अनुज्ञप्तिधारी के अन्य व्यवसायों से आय विषयक व्यवहार संबंधी म.प्र. राज्य विनियम		
1.	अन्य व्यवसाय का विवरण मय व्यवसाय की प्रकृति, अन्य व्यवसाय में प्रस्तावित पूंजी विनियम, अनुज्ञप्त व्यवसाय की परिसंपत्तियों एवं सुविधाओं के अन्य व्यवसाय में उपयोग की प्रवृति एवं सीमा, अन्य व्यवसाय हेतु उपयोग, परिसंपत्तियों एवं सुविधाओं का अनुज्ञप्त व्यवसाय के कर्तव्यों की सम्पूर्ति विषयक अनुज्ञप्तिधारी की क्षमता पर प्रभाव **– अनुज्ञप्तिधारी के व्यवसाय की परिसंपत्तियों के अनुकूलतम उपयोग हेतु अन्य व्यवसाय में संलग्न होने से न्यूनतम 30 दिवस पूर्व करेगा ।**	पारेषण कंपनी द्वारा प्रतिवेदन की अवधि में किसी अन्य व्यवसाय को सम्पादित नहीं किया गया है ।
म.प्र. विद्युत नियामक आयोग राज्य भार प्रेषण केन्द्र (स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर) शुल्क एवं प्रभारों संबंधी विनियम		
1.	राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पृथक वित्तीय लेखा संधारित किया जाना	क्षेत्रीय लेखाधिकारी, एमपीपीटीसीएल – एस एल डी सी के नाम से स्टेट बैंक आफ इण्डिया,

	– आयोग को प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष के अन्त से 6 माह के अन्दर प्रस्तुत किया जावेगा	जबलपुर में जुलाई 05 में पृथक लेखा खोल दिया गया है ।
2.	– मध्यप्रदेश राज्य की उत्पादन कंपनियों तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जो राज्य ग्रिड से संयोजित होना चाहते हैं एस.एल.डी.सी. को विनिर्दिष्ट प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करेंगे । **– राज्य ग्रिड से प्रस्तावित संयोजन तिथि से कम से कम एक माह पूर्व प्रतिवेदित की जावेगी ।**	म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी की उत्पादन प्रणाली तथा एमपीटीएल की पारेषण प्रणाली पूर्व से राज्य ग्रिड से संयोजित है । एनएचडीसी द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को उनके संयंत्रों को राज्य ग्रिड से संयोजित किये जाने हेतु आवेदन शुल्क के साथ एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ।
3.	–एसएलडीसी आवेदन के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात् तथा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी के परिपूर्ण तथा सही पाये जाने से तुष्ट होने पर एसएलडीसी रिकार्ड में आवेदन पंजीबद्ध कर आवेदक को आवेदन की स्वीकृति के संबंध में सूचित करेगा तथा आयोग को इसकी एक प्रति प्रस्तुत करेगा । – राज्य ग्रिड से जुड़ी उत्पादक कंपनियों तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों से संबंधित जानकारी जो उनके द्वारा प्रचालित एवं प्रबोधित (मानिटर) की जा रही हैं को आयोग को प्रस्तुत करना **– वार्षिक जानकारी प्रतिवर्ष 15 नवंबर तक प्रतिवेदित की जावेगी**	उपरोक्तानुसार
4.	– विद्यमान अनुमोदित शुल्क एवं प्रभारों पर आधारित आगामी वित्तीय वर्ष हेतु शुल्कों तथा प्रभारों के निर्धारण हेतु शुल्क तथा प्रभारों से अपेक्षित राजस्वों संबंधी याचिका प्रस्तुत करना **– प्रतिवर्ष 15 सितम्बर तक**	राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पूर्व में वर्ष 05–06 हेतु आयोग को एक याचिका शुल्क तथा प्रभारों के निर्धारण बाबत् प्रस्तुत की थी । आयोग द्वारा इस याचिका का उसके आदेश दिनांक 7.2.06 द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को राज्य पारेषण इकाई द्वारा प्रचालित मानते हुए याचिका का निराकरण किया है । राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा वर्ष 06–07 हेतु शुल्क तथा प्रभारों के निर्धारण बाबत् एक याचिका प्रस्तुत की है जो कि आयोग के विचाराधीन है ।

अनुज्ञप्ति की शर्तें		
1.	– अन्तरिम लाभ–हानि लेखा की प्रस्तुति, नगद प्रवाह पत्रक, वार्षिक तुलन पत्रक (बेलेन्स शीट) वित्तीय वर्ष की प्रथम/द्वितीय छमाही हेतु **– संबंद्ध अवधि की समाप्ति से छः माह के अन्दर**	वर्ष 2004–05 हेतु वार्षिक लेखा पत्रक अंकेक्षक के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा चुका है।
2.	– वित्तीय विवरण पत्रक की प्रस्तुति **– वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह के अन्दर**	
3.	– अनुज्ञप्ति की शर्तों से संबंधित निर्धारित संलग्न प्रपत्रों के साथ जानकारी की प्रस्तुति **– प्रथम प्रस्तुति अधिसूचना दिनांक से 60 दिवस के अन्दर** **– तदोपरांत प्रस्तुतियां – वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिवस के अन्दर**	वित्तीय वर्ष 06 हेतु जानकारी प्रस्तुत की जा चुकी है।
4.	– पांच वर्षीय व्यवसाय योजना की प्रस्तुति – तदोपरांत पिछले वर्ष की व्यवसाय योजना की प्रगति मय अगले पांच वर्ष हेतु व्यवसाय योजना को अद्यतन किये जाने संबंधी प्रस्ताव **– अनुज्ञप्ति शर्तों को जारी करने की तिथि से 3 माह के अन्दर** **– वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास के अन्दर**	म.प्र. पावर ट्रांसमीशन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) द्वारा आयोग को वर्ष 2008–09 तक की पांच वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। आयोग ने टैरिफ आदेश वर्ष 05–06 के साथ वर्ष 05–06 की वार्षिक योजना का भी अनुमोदन कर दिया है । तथापि, एमपीपीटी सीएल ने उपरोक्त वर्णित योजना को वर्ष 2010–11 तक पुनरीक्षित कर दिया है तथा इसे आयोग को प्रस्तुत कर दिया है । आयोग ने एमपीपी टीसीएल को योजना पूंजीगत व्यय पर दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार पुनः प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया है ।
5.	– पांच वर्षीय निवेश योजना (व्यवसाय योजना से परस्पर संबंधित) की प्रस्तुति **– अनुज्ञप्ति शर्तों को जारी करने की तिथि से तीन माह के अन्दर**	म.प्र. पावर ट्रांसमीशन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) द्वारा आयोग को वर्ष 2008–09 तक की पांच वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी । आयोग ने टैरिफ आदेश वर्ष 05–06 के साथ वर्ष 05–06 की वार्षिक योजना का भी अनुमोदन कर

		दिया है । तथापि, एमपीपीटी सीएल ने उपरोक्त वर्णित योजना को वर्ष 2010–11 तक पुनरीक्षित कर दिया है तथा इसे आयोग को प्रस्तुत कर दिया है । आयोग ने एमपीपी टीसीएल को योजना पूंजीगत व्यय पर दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार पुनः प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया है ।
6.	– वार्षिक निवेश योजना, मय वित्त वर्ष में सम्पादित की जाने वाली निवेश योजनाओं के – तदोपरांत पिछले वर्ष की व्यवसाय योजना की प्रगति मय अगले पांच वर्ष हेतु व्यवसाय योजना को अद्यतन किये जाने संबंधी प्रस्ताव	उपरोक्तानुसार
7.	आयोग के अनुमोदन हेतु विद्यमान निविदा पद्धति । आयोग एक आदर्श निविदा पद्धति अनुमोदित करेगा, तथापि, ऐसे प्रकरणों में जहां निविदा शर्तें वित्तीय संस्थाओं द्वारा विनिर्दिष्ट हैं; जैसा एवं जब आवश्यक हो अनुज्ञप्तिधारी ऐसा प्रकरण आयोग की जानकारी हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं	विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्दिष्ट की गई निविदा प्रक्रिया आयोग को प्रस्तुत तथा उसके द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है ।
8.	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के अनुमोदन हेतु पारेषण प्रणाली के विद्यमान आयोजन, तथा सुरक्षा एवं संचालन के मापदण्ड प्रस्तुत करना **– अनुज्ञप्ति की कतिपय शर्तों की अधिसूचना से 60 दिवस के अन्दर**	पारेषण कंपनी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आयोजन तथा सुरक्षा संहिता का पालन कर रही है ।
9.	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के अनुमोदन हेतु पारेषण, आयोजन व सुरक्षा के मापदण्ड तथा पारेषण प्रचालन के मापदण्ड संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करना । **– अनुज्ञप्ति की कतिपय शर्तों की अधिसूचना दिनांक से तीन माह के अन्दर अथवा इससे अधिक समय–अवधि द्वारा जिसे आयोग द्वारा अनुमति प्रदान की जावेगी ।**	पारेषण प्रचालन मापदण्ड जैसा कि वे पारेषण संपादन मापदण्ड में परिभाषित किये गये हैं त्रैमास–आधार पर प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

10.	– अनुज्ञप्तिधारी वार्षिक आधार पर अपनी पारेषण प्रणाली से चक्रित (व्हील्ड) विद्युत शक्ति का पूर्व अनुमान जो प्रयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये, पूर्व अनुमानों पर आधारित होगा, आगामी प्रत्येक पांच वर्षों के लिये करायेगा । **– ऐसी समस्त जानकारी वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं की याचिका के साथ दी जावेगी ।**	आगामी 5 वर्षों की पारेषण योजना ऊर्जा आवश्यकता के अन्तर्गत शामिल किया जा चुका है ।
11.	– अनुज्ञप्तिधारी वार्षिक आधार पर आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पूर्वानुमान तैयार कर प्रस्तुत करेगा ।	आगामी 5 वर्षों की पारेषण योजना ऊर्जा आवश्यकता के अन्तर्गत शामिल किया जा चुका है ।
12.	– अनुज्ञप्तिधारी आयोग, को पारेषण प्रणाली का पूर्व वित्तीय वर्ष में कार्य अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा । **– प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन माह के अन्दर**	प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है
13.	अनुज्ञप्तिधारी, वार्षिक आधार पर, अगले 5 वर्षों का प्रत्येक वर्ष के बारे में आदर्श नियोजन मानदण्ड के अनुसार सर्किट क्षमता, विद्युत प्रवाह तथा पारेषण प्रणाली पर भार के पूर्वानुमान अनुसार पत्रक तैयार करेगा । साथ ही : (अ) ऐसी अन्य जानकारी जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिये जो प्रणाली का उपयोग करना चाहता हो जबकि उसके द्वारा ऐसी प्रणाली से संयोजन तथा उपयोग किया जावे तब उपलब्ध अवसरों की पहचान तथा मूल्यांकन हेतु आवश्यक होगी; तथा (ब) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किया गया विवरण जिसमें उसकी पारेषण प्रणाली के उन भागों पर उसके अभिमत दर्शायें गये हों जो नये संयोजन तथा अतिरिक्त मात्रा में विद्युत परिवहन हेतु उत्तम हों **– प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास के अन्दर**	परिपालन किया जा चुका है पारेषण योजना में सम्मिलित कर लिया गया है वैबसाईट पर उपलब्ध है ।

पारेषण अनुपालन के मानक		
1.	प्रत्याभूत (ग्यारनटेड) एवं सभी कार्य अनुपालन के मानकों का त्रैमासिक प्रतिवेदन **– त्रैमास की समाप्ति से तीस दिवस के अन्दर**	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियमित रूप से त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

5.3 वितरण कंपनियों के विनियम परिपालन की अद्यतन स्थिति

5.3.1 सूचना प्रणाली (एम आई एस):

कंपनियों के द्वारा यद्यपि प्रतिवेदन त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत किये जा रहे हैं तथापि प्रस्तुति में विलम्ब किया जाता है । कंपनियों को आंकड़ों की प्रस्तुति में परिशुद्धता सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है ।

5.3.2 म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता :

प्रदाय संहिता अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्तायों के मध्य विद्युत प्रदाय शर्तों बाबत दिशा निर्देशों से संबंधित है। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को इसमें समाहित दिशा–निर्देशों का परिपालन किया जाना अत्यावश्यक है । कुछ विशिष्ट बिन्दुओं पर परिपालन की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार हैः

(i) टेम्पर प्रूफ मीटर बाक्स का प्रावधान : वितरण कंपनियों को सभी मीटरों पर इन बक्सों को लगाने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि बिजली की चोरी को रोका जा सके। इस बाबत् उन्हे एक सम्पूर्ण योजना प्रस्तुत करने बाबत् निर्देशित किया गया है ।कंपनीवार स्थिति निम्नानुसार है :–

(अ) मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी : कंपनी द्वारा ऐसे विद्यमान मीटर जिन पर उपरोक्त बक्से लगाये जाना है बाबत कोई योजना प्रस्तुत नही की गई है एवं यह सूचित किया गया है कि सभी नये लगाये जा रहे मीटरों पर इन बक्सों को लगाया जा रहा है । कंपनी द्वारा आयोग के निर्देश का पालन नही किया गया है।

(ब) पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनीः कंपनी में विद्यमान 5.89 लाख मीटरों पर ऐसे बक्से लगाये जाने की आश्यकता है जिसमें से अभी तक कुल 5000 बक्से लगाये गये हैं जो कि बहुत ही कम है। कंपनी द्वारा ऐसे विद्यमान मीटर जिन पर उपरोक्त बक्से लगाये जाना है बाबत् कोई योजना प्रस्तुत नही की गई है। कंपनी द्वारा आयोग के निर्देश का पूरी तरह पालन नही किया गया है।

(स) पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनीः कंपनी द्वारा ऐसे विद्यमान मीटर जिन पर उपरोक्त बक्से लगाये जाना है बाबत कोई योजना प्रस्तुत नही की गई है एवं यह सूचित किया गया है कि सभी नये लगाये जा रहे मीटरों पर इन बक्सों को लगाया जा रहा है । कंपनी द्वारा आयोग के निर्देश का पालन नही किया गया है।

(ii) मीटरों का निर्धारित अंतराल पर निरीक्षणः निर्देशानुसार वितरण कंपनियों को सिंगल फेस मीटर का पांच साल की अवधि में एक बार, थ्री फेस मीटरों का तीन साल में एक बार एवं एच टी मीटरों का प्रतिवर्ष निरीक्षण करना हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मीटर सही रूप से कार्य कर रहे है एवं उपभोक्ता को मीटर खराब होने की शिकायतों से परेशानी न हो। कंपनीवार स्थिति निम्नानुसार है :–

(अ) मध्य क्षेत्र वितरण कंपनीः कंपनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इस वर्ष कुल 3.30 प्रतिशत सिंगल फेस, 5.60 प्रतिशत थ्री फेस व 78.34 प्रतिशत एच.टी मीटरों का निरीक्षण किया गया है जो कि निर्धारित संख्या से काफी कम है। कंपनी द्वारा आयोग के निर्देश का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है।

(ब) पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनीः कंपनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इस वर्ष कुल 3.17 प्रतिशत सिंगल फेस, 3.74 प्रतिशत थ्री फेस व शत् प्रतिशत एच.टी मीटरों का निरीक्षण किया गया है। निम्न दाब मीटरों के निरीक्षण की संख्या निर्धारित संख्या से काफी कम है। कंपनी द्वारा आयोग के निर्देश का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है।

(स) पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनीः कंपनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इस वर्ष कुल 2.02 प्रतिशत सिंगल फेस, 3.28 प्रतिशत थ्री फेस व 64 प्रतिशत एच.टी मीटरों का निरीक्षण किया गया है जो कि निर्धारित संख्या से काफी कम है। कंपनी द्वारा आयोग के निर्देश का पूरी तरह पालन नही किया गया है।

(iii) उपभोक्ताओं के आवेदन पर मीटर की जांचः उपभोक्ताओं के आवेदन पर तथा निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने के पश्चात 30 दिवस की अवधि में उनके मीटरों की जांच परीक्षण शाला में किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कंपनीवार स्थिति निम्नानुसार है :–

(अ) मध्य क्षेत्र वितरण कंपनीः कंपनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इस वर्ष कुल कुल प्राप्त 10026 आवेदनों में से 8067 प्रकरणों में मीटरों की जांच निर्धारित समयावधि में की जा सकी है । कंपनी द्वारा सूचित किया गया है कि जांच के लिये उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति, उपभोक्ता परिसर का बंद पाया जाना, जांच हेतु प्रशिक्षित व्यक्तियों की तथा समुचित परीक्षण संसाधनों की कमी इत्यादि कारणों से सभी मीटरों की जांच समयावधि में नही की जा सकी। आयोग के निर्देश का पूरी तरह पालन नही किया गया है।

(ब) पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनीः कंपनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इस वर्ष कुल प्राप्त 27986 आवेदनों में से 27506 प्रकरणों में मीटरों की जांच निर्धारित समयावधि में की जा सकी है। कंपनी द्वारा सूचित किया गया है कि शेष 2.3 प्रतिशत प्रकरण जो इन्दौर क्षेत्र के हैं की जांच के लिये उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति के कारणों से सभी मीटरों की जांच समयावधि में नही की जा सकी । आयोग के निर्देश का पूरी तरह पालन नही किया गया है।

(स) पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनीः कंपनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इस वर्ष कुल प्राप्त 2484 आवेदनों में से 2163 प्रकरणों में मीटरों की जांच निर्धारित समयावधि में की जा सकी है। कंपनी द्वारा सूचित किया गया है कि शेष मीटरों की जांच के लिये उपभोक्ता या उसके

प्रतिनिधि की अनुपस्थिति के कारणों से सभी मीटरों की जांच समयावधि में नही की जा सकी। जहां परीक्षण बेंच की कमी से मीटरों की जांच समयावधि में नही की जा सकी है ऐसी जगहों पर अब इनकी व्यवस्था की जा रही है। आयोग के निर्देश का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है।

(iv) उपभोक्ताओं को मीटर का चयन करने की सुविधाः आयोग द्वारा माह अक्टूबर 05 में विद्युत प्रदाय संहिता में संशोधन जारी किया गया जिसके अनुसार नवीन तथा विद्यमान उपभोक्ताओं को विद्युत कंपनियों द्वारा क्रय किये गये विभिन्न मीटर निर्माताओं के मीटरों में से अपनी पसंद के मीटर का चयन करने की सुविधा दी गई है । कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि वे विभिन्न निर्माताओं से क्रय किये गये मीटरों का निर्धारित विवरण प्रस्तुत करें व इसका समुचित प्रचार प्रसार करें ताकि उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठा सकें। किसी भी वितरण कंपनी द्वारा निर्देशों का पालन नही किया गया है।

5.3.3 वाणिज्यिक एवं तकनीकी हानियों के पृथक्करण हेतु अध्ययनः

राष्ट्रीय विद्युत नीति में निर्देशित किया गया है कि विद्युत प्रदाय व्यवस्था में हो रही हानियों का अध्ययन करवाया जाये व इनमें वाणिज्यिक एवं तकनीकी हानियों का पृथक्करण किया जावे। तदनुसार, आयोग द्वारा वितरण कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि इस बाबत् अध्ययन विशेषज्ञों के द्वारा करवाया जावे एवं इसके नतीजे मार्च 2007 तक प्रस्तुत किये जावें । इसके अनुसरण में पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा उनकी पूरी कंपनी क्षेत्र में नमूने के आधार पर अध्ययन करने के आदेश एक प्रतिष्ठान को दिये गये हैं । पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा छः नगरों में इस प्रकार के अध्ययन कराने के आदेश दिये गये हैं परन्तु मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा इस बाबत कोई प्रत्यक्ष पहल नही की गई।

5.3.4. अनुज्ञप्ति की शर्तें विनियम के परिपालन बाबतः

1.	लाभ तथा हानि लेखा, तुलन पत्रक (बेलेन्स शीट), नगद प्रवाह पत्रक अवधि की समाप्ति से 90 दिवस में (अन्तरिम) तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 6 माह के अन्दर (अंकेक्षित) प्रस्तुत किया जाना ।	म.प्र. शासन की अधिसूचना दिनांक 31.5.05 के अनुसार कंपनियों द्वारा प्रारंभिक तुलन पत्रक (चिट्ठा) कंपनियों को प्रदाय किया जा चुका है । वितरण कंपनियों द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन दिनांक 01.06.05 से आरंभ किया गया है अतएव वित्तीय विवरण पत्रक अभी तैयार नहीं है ।
2.	अनुज्ञप्तिधारी के व्यवसाय के विभिन्न विवरण, विनियमनों के साथ संलग्न प्रपत्रों के अनुसार अनुज्ञप्ति शर्तों के लागू होने की तिथि से 60 दिवस के अन्दर तथा तत्पश्चात वर्ष की समाप्ति से एक माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाना	कंपनियों द्वारा दिनांक 31.3.05 की अद्यतन स्थिति अनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है ।

3.	5 वर्षीय व्यवसाय योजना (वर्षवार भार वृद्धि, वर्षवार वितरण हानि को कम करने संबंधी प्रस्ताव मय विशिष्ट कार्य योजना के, मीटरिंग संबंधी योजना, पूर्व हानियों तथा, उधार पुर्नसंरचना योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कार्य योजना, लागत घटाने बाबत योजना, प्रक्षेपित लाभ एवं हानि लेखा, प्रक्षेपित बेलेन्स शीट, प्रक्षेपित नगद प्रवाह पत्रक, प्रक्षेपित महत्वपूर्ण वित्तीय परिमाप) अन्तरण योजना (ट्रांसफर स्कीम) के प्रभावी होने की तिथि से 3 माह के अन्दर तथा तदोपरांत चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास के अन्दर वार्षिक अद्यतन तथा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना ।	तीनों वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत व्यवसाय योजना की आयोग द्वारा समीक्षा की जा चुकी है तथा इनमें पाई गई कमियों/त्रुटियों से वितरण कंपनियों को अवगत करा दिया गया था ताकि वे इसे पुनरीक्षित कर पुनः आयोग को प्रस्तुत करें। प्रकरण आयोग के विचाराधीन है ।
4.	– विद्युत क्रय अनुबन्ध (मय वाणिज्यिक तौर पर अपनाये जाने योग्य विकल्पों के आर्थिक, तकनीकी, प्रणालीय, तथा पर्यावरणीय पहलुओं का विश्लेषण) **– आयोग को आवेदन की तिथि से 180 दिवस के अन्दर प्राधिकरण प्राप्त कर लिया जाना चाहिए ।** **– यदि विद्युत क्रय अनुबन्ध 6 माह से कम की अवधि का हो तो इसकी सूचना आयोग को अनुबन्ध की तिथि से 30 दिवस के अन्दर दे दी जानी चाहिये**	किसी भी वितरण कंपनी द्वारा दिशा निर्देशों का परिपालन नहीं किया गया ।
5.	वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के अनुपालन पर प्रतिवेदन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त से 3 माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाना	कंपनियों द्वारा त्रैमासिक जानकारी प्रस्तुत की जा रही है तथा इसका विश्लेषण तथा समीक्षा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार समीक्षा की जा रही है तथा प्रतिवर्ष इनका प्रकाश किया जा रहा है।

5.3.5 वितरण अनुपालन मानदण्ड विनियमः

वितरण कंपनियों को वितरण प्रणाली के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुपालन में त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। वितरण कंपनियों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहे है जिसकी समीक्षा आयोग द्वारा की जा रही है एवं विद्युत अधिनियम 2003 में निहित निर्देशानुसार इसका प्रकाशन भी किया जा रहा है ।

———————————

अध्याय – 6

उपभोक्ता सेवा संबंधी विषय तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निष्पादित किये गये अनुपालन मापदण्ड

6.1 आयोग द्वारा राज्य के उपभोक्ताओं को उत्तम विद्युत प्रदाय तथा बेहतर सेवाएं प्रदान किये जाने की दिशा में कई कदम उठाये हैं । इस दिशा में वितरण कंपनियों के द्वारा उपभोक्ताओं को दिये जा रहे विद्युत प्रदाय तथा अन्य उपभोक्ता सेवा से जुड़े हुए मुददों पर निर्धरित समयावधि में कार्यवाही करने के मानदण्डों को निर्दिष्ट किया जाना मुख्य कदमों में से एक है । ये मानदण्ड आयोग द्वारा अधिसूचित किये गये हैं तथा राज्य के अनुज्ञप्तिधारी इसका परिपालन किये जाने हेतु बाध्य है । उपभोक्ता सेवा में त्रुटियों का सुधार किये जाने बाबत् समय सीमाएं निर्धारित करना, समयबद्ध मीटर का वाचन किया जाना, बिलिंग किया जाना, त्रुटियुक्त मीटरों तथा अन्य उपकरणों को बदला जाना, बिलिंग में की गई त्रुटियों को निर्दिष्ट समय सीमा में सुधार किया जाना आदि कुछ ऐसे मुख्य विषय हैं जो कि इन विनियमों के अन्तर्गत आते हैं । इस अध्याय में इस दिशा में उठाये गये कदमों तथा इनकी अद्यतन स्थिति के बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा की गई है ।

6.2 केन्द्रीकृत सेवा केन्द्रों (काल सेंटरों) की स्थापना : प्रत्येक वितरण कंपनी में एक केन्द्रीकृत सेवा केन्द्र स्थापित किया गया है जिसे एक विशिष्ट दूरभाष क्रमांक प्रदान किया गया है । कंपनी क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी उपभोक्ता केन्द्रीकृत सेवा केन्द्र में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है । शिकायतों के प्राप्त होने पर सेवा केन्द्र उन्हें अपने कम्प्यूटर में दर्ज करता है तथा इसे सुधार के लिये संबंधित क्षेत्रीय प्रभारी को अग्रेषित करता है । शिकायतों की समयबद्ध रूप से सुधार किये जाने संबंधी निगरानी वितरण कंपनियों के विभिन्न स्तरों पर की जाती है। आयोग भी इनकी अद्यतन स्थिति बाबत् समय–समय पर समीक्षा कर रहा है।

निम्न तालिका इन केन्द्रीकृत सेवा केन्द्रों द्वारा प्रदान की गई सेवा का विवरण दर्शाती है :–

केंद्रीकृत शिकायत निवारण केन्द्रों द्वारा वर्ष 2005–06 में जिलावार शिकायत निवारण का विवरण

केन्द्रीकृत शिकायत निवारण केन्द्र – पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.3.2006 की स्थिती में लंबित शिकायतों की संख्या
जबलपुर	57	74128	73987	242
कटनी	6	255	236	19
मंडला	0	4	3	1
डिंडोरी	0	2	2	

सिवनी	0	114	102	12
बालाघाट	0	8	7	1
नरसिंहपुर	4	150	122	28
छिंदवाड़ा	1	59	52	7
सागर	1	49	45	4
दमोह	1	15	14	1
छतरपुर	0	39	30	9
पन्ना	0	15	9	6
टीकमगड़	0	23	22	1
रीवा	9	291	250	41
सतना	20	201	168	33
सीधी	0	9	7	2
शहडोल	2	54	48	6
कुल योग	101	75416	75104	413
केन्द्रीकृत शिकायत निवारण केन्द्र – मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी				
भोपाल/रायसेन	160	162498	162430	219
विदिशा	0	13703	13703	0
बैतूल	0	0	0	0
होशंगाबाद	0	0	0	0
राजगढ़	0	0	0	0
सीहोर	0	0	0	0
ग्वालियर	61	124466	124439	88
शिवपुरी	0	0	0	0
गुना	0	0	0	0
मुरैना	0	0	0	0
श्योपुर	0	0	0	0
हरदा	0	0	0	0
कुल योग	221	300667	300572	307
केन्द्रीकृत शिकायत निवारण केन्द्र – पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी				
इन्दौर	282	211084	210953	413
धार	7	5071	5068	10
झाबुआ	0	674	674	0
खण्डवा	11	8092	8087	16
खरगौन	3	2104	2103	4

बड़वानी	2	1483	1483	2
बुरहानपुर	2	1780	1779	3
उज्जैन	35	26433	26414	54
रतलाम	7	5394	5391	10
मंदसौर	2	1726	1725	3
नीमच	3	1888	1887	4
देवास	4	2697	2696	5
शाजापुर	2	1295	1294	3
कुल योग	360	269721	269554	527

उपभोक्ताओं की सुविधा की दृष्टि से, इन सेवा केन्द्रों के दूरभाष क्रमांक विद्युत बिलों पर भी प्रदर्शित किये जाते हैं ।

6.3 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का गठन :

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (5) के उपबंधों के अनुसार, तीनों वितरण कंपनियों में से प्रत्येक द्वारा एक–एक विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की स्थापना की है । इन फोरमों के मुख्यालय वितरण कंपनियों के मुख्यालयों क्रमशः जबलपुर, भोपाल तथा इन्दौर में स्थित हैं। आयोग द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि ये फोरम उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई हेतु बैठकें न केवल अपने मुख्यालयों पर कर सकेंगे वरन् समय–समय पर इन्हें नियमित रूप से अन्य स्थानों पर भी सुनवाई करना होगा जिसके परिपालन में ये फोरम अपनी बैठकें मुख्यालय के अलावा अन्य स्थानों पर भी कर रहे हैं ताकि अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी इस सुविधा का सुलभ लाभ मिल सके।

6.4 वर्ष 2005–06 में शिकायत निवारण फोरम द्वारा निराकृत की गई शिकायतों के विवरण निम्नानुसार हैं :–

विद्युत उपभोक्ता फोरम –पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी					
क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.3. 2006 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	इन्दौर	19	158	166	11
2	धार	4	173	160	17
3	खरगौन	0	35	33	2
4	बड़वानी	0	21	21	0
5	खण्डवा	0	4	4	0
6	बुरहानपुर	1	107	38	70

7	झाबुआ	0	5	4	1
8	उज्जैन	12	96	101	7
9	रतलाम	2	65	65	2
10	मंदसौर	1	12	13	0
11	नीमच	0	21	20	1
12	देवास	5	20	21	4
13	शाजापुर	1	5	5	1
	योग	**45**	**722**	**651**	**116**
विद्युत उपभोक्ता फोरम –पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी					
1	जबलपुर	5	148	120	33
2	कटनी	11	134	134	11
3	मंडला	5	5	10	0
4	डिंडोरी	1	6	7	0
5	नरसिंहपुर	17	86	75	28
6	सिवनी	4	47	51	0
7	बालाघाट	5	37	40	2
8	छिंदवाड़ा	1	27	28	0
9	रीवा	28	231	228	31
10	सतना	4	41	38	7
11	सीधी	2	16	15	3
12	शहडोल	3	66	47	22
13	उमरिया	2	24	24	2
14	अनूपपुर	7	9	13	3
15	सागर	3	92	81	14
16	दमोह	6	33	37	2
17	छतरपुर	7	110	97	20
18	पन्ना	9	57	55	11
19	टीकमगढ़	4	42	41	5
	योग	**124**	**1211**	**1141**	**194**
विद्युत उपभोक्ता फोरम –मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी					
1	ग्वालियर	265	460	577	148
2	दतिया	5	6	11	0
3	मुरैना	16	81	68	29
4	भिण्ड	9	6	15	0

5	गुना	1	3	2	2
6	अशोकनगर	0	2	2	0
7	शिवपुरी	5	9	13	1
8	श्योपुर	0	0	0	0
9	भोपाल	0	74	61	13
10	विदिशा	0	12	8	4
11	होशंगाबाद	0	25	17	8
12	बैतूल	0	7	6	1
13	राजगढ़	0	8	6	2
14	सीहोर	0	11	11	0
15	रायसेन	0	13	11	2
16	हरदा	0	6	5	1
	योग	**301**	**723**	**813**	**211**

6.5 आयोग इन फोरमों द्वारा निराकृत की गई शिकायतों के निवारण के कार्य की समीक्षा समय–समय पर करता है ।

6.6 आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को अतिरिक्त फोरमों के गठन हेतु निर्देश दिये जाने के बारे में विचार कर रहा है ताकि शिकायतों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में किया जाना संभव हो सके ।

6.7 विद्युत लोकपाल की स्थापना :–

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (6) के अनुबधों के अनुसार आयोग द्वारा विद्युत लोकपाल की नियुक्ति की गई । विद्युत लोकपाल द्वारा माह फरवरी 2005 में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया गया था जो माह सितम्बर 2005 तक चला तत्पश्चात उनके द्वारा पद त्याग दिया गया । आयोग द्वारा माह अक्टूबर 2005 में नये विद्युत लोकपाल की नियुक्ति हेतु एक विज्ञापन जारी किया गया, परन्तु इस पर पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण पुनः माह फरवरी, 2006 में एक विज्ञापन जारी किया गया । विद्युत लोकपाल की नियुक्ति की जा चुकी है व विद्युत लोकपाल द्वारा मई 2006 में कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है।

6.8 गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) का उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु सहयोग :

राष्ट्रीय विद्युत नीति में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार, आयोग द्वारा विज्ञापन के माध्यम से विद्युत क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओं से विभिन्न उपभोक्ताओं से संबंधित विषयों पर सहायता चाही गई थी । इस संबंध में 116 गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई है । ये गैर सरकारी संस्थाएं आयोग द्वारा पंजीकृत कर ली गई हैं। आयोग का मत है कि इन गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता विद्युत उपभोक्ताओं में व्यापक रूप से जागरूकता विकसित करने में तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु

विद्युत क्षेत्र में सुधार लाये जाने हेतु वृहद रूप से सहायक होगी । आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु, राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी की टैरिफ दरों के निर्धारण के समय, राज्य के प्रत्येक सम्भागीय क्षेत्र से एक–एक गैर सरकारी संस्था चयनित की थी तथा एक विज्ञापन द्वारा समाचार–पत्रों में इनके नाम तथा पते, टैरिफ याचिका की संक्षेपिका के साथ प्रकाशित किये थे। उपभोक्ताओं को सूचित किया गया कि वे उनके विचार वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत टैरिफ याचिका पर उनके क्षेत्रीय उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रही इन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से आयोग के समक्ष टैरिफ याचिका की सुनवाई के दौरान कर सकते हैं । गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा इस विषय पर सकारात्मक कार्यवाही की है । आयोग ने इन गैर सरकारी संस्थाओं से ऐसे प्रकरणों में भी सहायता चाही है जहां उपभोक्ताओं द्वारा व्यक्तिगत समस्याओं के बाबत् याचिकाएं आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं ताकि उपभोक्ताओं के प्रकरणों की प्रस्तुति इन संस्थाओं की सहायता से सक्षम रूप से की जा सके।

6.9 मीटरिंग सलाहकार :

आयोग ने हाल ही में तीनों वितरण कंपनियों के लिये ठेके पर एक–एक मीटरिंग सलाहकार की नियुक्ति की है जो कि आयोग के लिये कार्य करेंगे। मीटरिंग सलाहकार का कार्य मीटरों की मानक प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाना तथा उपभोक्ता मीटरों का नियतकालिक प्रमाणीकरण किया जाना है । इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के परिसर में गुणवत्तायुक्त तथा सही मीटरीकरण सुनिश्चत किया जाना है ताकि मीटरों से संबंधित वे शिकायतें, जिनका उपभोक्ताओं द्वारा सामना किया जा रहा है, को न्यूनतम किया जा सके । ये मीटरिंग सलाहकार मीटरों से संबंधित समस्त वितरण कंपनियों की गतिविधियों का नजदीकी पर्यवेक्षण करेंगें तथा किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर, आयोग को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित करेंगे ।

6.10 एस एम एस संदेश सेवा के माध्यम से बिल की जानकारी देने बाबतः

आयोग द्वारा वितरण कंपनियों को निर्देश दिये है कि शुरूआत में बड़े शहरों तथा बाद में अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को एसएमएस संदेश सेवा सुविधा द्वारा बिल से संबंधित जानकारी, बिल की राशि तथा भुगतान किये जाने की अन्तिम तिथि के बाबत्, सूचित करें । इस सुविधा के लिये उपभोक्ताओं को संबंधित वितरण कंपनी में अपना पंजीयन कराना होगा। कंपनियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे एसएमएस संदेश के माध्यम से विद्युत प्रदाय बन्द होने (शट डाऊन) संबंधी सूचना अग्रिम रूप से बड़े उपभोक्ता, जो इस हेतु आवेदन करते है, को भी प्रदान करें । यह सुविधा वितरण कंपनियों द्वारा शीघ्र ही चालू किये जाने की आशा है ।

6.11 स्पॉट बिलिंग प्रणाली को लागू किया जाना :

आयोग, वर्तमान में उपभोक्ताओं को त्रुटिपूर्ण मीटर वाचन/बिलिंग के कारण होने वाली समस्याओं से भलीभांति अवगत है । ऐसी कठिनाईयों के निवारण हेतु, आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को हेंड हेल्ड कम्प्यूटर यंत्रों के माध्यम से स्पॉट बिलिंग प्रारंभ किये जाने संबंधी निर्देश दिये हैं । मीटर–वाचक द्वारा उपभोक्ता के परिसर में ही कम्प्यूटर यंत्र पर वाचन को अंकित करना होगा तथा उपभोक्ता को कम्प्यूटर–जनित देयक तत्काल दे दिया जावेगा ।

6.12 घरेलू उपभोक्ताओं के देयक (बिल) प्रपत्र का सरलीकरण किया जानाः

घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के बिल प्रपत्र को हाल ही में पुनरीक्षित कर इसे वितरण कंपनियों को यह निर्देशित कर भेजा गया है कि वे घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को उनके बिल पुनरीक्षित प्रपत्र में जारी करें । पूर्व में प्रचलित बिल प्रपत्र को सरलीकृत किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में अब सरल जानकारी ही दी जावेगी तथा इसमें पूर्व खपत संबंधी विवरण भी दर्शाये जावेंगे जिससे कि उपभोक्ता को बिल के समझने में आसानी होगी ।

6.13 बिल कलेक्शन सुविधाओं में सुधार :

आयोग द्वारा राज्य में बिल कलेक्शन केन्द्रों की संख्या की तुलना इन केन्द्रों पर बिल जमा कराने वाले उपभोक्ताओं की संख्या से की गई थी तथा तद्नुसार वितरण कंपनियों को उपभोक्ताओं को पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित किये जाने बाबत् निर्देशित किया था ताकि उन्हें भुगतान के समय आने वाली कठिनाईयां को दूर किया जा सके ।

6.14 वितरणवार संग्रहण केन्द्रों की संख्या निम्नानुसार है :–

वितरण कंपनी का नाम	बिल कलेक्शन केन्द्रों की संख्या
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	581
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	510
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	388

(स्त्रोतः कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर)

आयोग ने वितरण कंपनियों को निम्नलिखित संभागों/नगरों में बिल कलेक्शन सुविधाओं की दृष्टि से केन्द्रों में भीड़ कम किये जाने की दृष्टि से विशेष रूप से ध्यान दिये जाने का परामर्श दिया है :

वितरण कंपनी	संभाग/नगर	प्रति बिल कलेक्शन खिड़की पर उपभोक्ता संख्या (उपभोक्ता घनत्व–बनाम– बिल कलेक्शन केन्द्र)
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	1. शहर–पश्चिम जबलपुर 2. सिवनी	7284 17106
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	1. शहर पूर्व भोपाल 2. सीहोर 3. आष्टा	7949 8042 7589

म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	1. महू नगर	7143
	2. महू – गांव	7960
	3. गांधी नगर	7676
	4. बेटमा	7121
	5. बड़वानी नगर	9785
	6. सेंधवा	7432
	7. देवास	8058

(स्त्रोतः कंपनीयों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर)

6.15 इलेक्ट्रानिक बिल भुगतान सुविधा :

आयोग वितरण कंपनियों के उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रानिक बिल भुगतान सुविधाएं प्रदान किये जाने के विषय में निरंतर सलाह देता रहा है । इस संबंध में म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पहल की गई है । कंपनी ने माह मई 2005 से इस उद्देश्य से भोपाल शहर में एक प्रतिष्ठान की सेवाएं ली हैं । इच्छुक उपभोक्ता इस सुविधा के उपयोग हेतु स्वयं को निशुल्क पंजीकृत करा सकते हैं । इस सुविधा के अनुसार उपभोक्ता के देयक का भुगतान सीधे उसके बैंक अकाउण्ट से विद्युत कंपनी को किये जाने का प्रावधान है । उपभोक्ता उसके अकाउण्ट से प्रतिमाह देय बिल राशि की उच्चतम सीमा निर्धारित कर सकता है। यदि इस निर्धारित राशि से अधिक राशि का बिल दिया जाता है तो भुगतान की राशि रोक ली जाती है जब तक कि उपभोक्ता इस भुगतान बाबत् निर्देशित न करे । इस प्रक्रिया में भी पूर्वानुसार बिलों को उपभोक्ता को भेजा जाता है तथा इसके साथ–साथ बिलिंग आंकड़े संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा उपभोक्ता के अकाउण्ट से भुगतान की व्यवस्था हेतु एकत्रित किये जाते हैं । उपभोक्ता द्वारा चाहे जाने पर, विक्रेता ई–मेल द्वारा भी वांछित जानकारी को प्रस्तुत करता है । इसके अलावा भुगतान का प्रमाण अर्थात् रसीद क्रमांक उपभोक्ता के आगामी माह के देयक में दर्शायी जाती है । भोपाल में अभी तक लगभग 7500 उपभोक्ताओं द्वारा इस सुविधा का लाभ लेना प्रारंभ कर दिया गया है । इन उपभोक्ताओं को अब यह चिन्ता करने की आवश्यकता नही है कि उन्हें बिल प्राप्त हो चुके हैं अथवा नहीं तथा न ही उन्हें वितरण कंपनी के कार्यालय में भुगतान हेतु जाने की आवश्यकता होगी। आयोग ने अन्य दो वितरण कंपनियों को भी उनके क्षेत्र में ऐसी ही सुविधा प्रदान करने की संभावनाएं खोजे जाने हेतु सलाह दी है।

6.16 अनुज्ञप्तिधारियों के अनुपालन मानदण्ड :

आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों के लिये विभिन्न उपभोक्ता सेवाओं हेतु अनुपालन मानदण्ड निर्धारित किये हैं ।

6.17 वितरण अनुपालन मानदण्डों का विश्लेषण :

वितरण कंपनियों द्वारा वर्ष 2005–06 के अन्तर्गत निष्पादित विभिन्न अनुपालन मानदण्ड संलग्न प्रपत्र 5 में दर्शाये गये हैं । मीटर तथा बिलिंग से संबंधित शिकायतों में पाया गया है कि कई प्रकरणों में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य नही हुआ है । वितरण कंपनियों को इन कार्यों में अपेक्षित सुधार लाने बाबत निर्देशित किया गया है ।

6.18 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के अनुपालन मानदण्डों का विश्लेषण :

आयोग द्वारा ''पारेषण अनुपालन मानदण्ड'' अधिसूचित किये गये हैं । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को निम्न अनुपालन सूचकांकों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं :–

(i) वोल्टेज परिवर्तन – (Voltage Variation)

(ii) आवृत्ति परिवर्तन – (Frequency Variation)

(iii) सुरक्षा मानक – (Safety Standards)

(iv) प्रणाली सुलभता – (System Availability)

(v) फीडर सुलभता – (feeder Availability)

(vi) ट्रांसफार्मर सुलभता – (Transformer Availability)

(vii) वोल्टेज असंतुलन (Voltage unbalance)

(viii) न्यूट्रल वोल्टेज विस्थापन (Neutral Voltage Displacement)

(ix) वोल्टेज परिवर्तन सूचकांक (Voltage Variation Index)

(x) आवृत्ति परिवर्तन सूचकांक (Frequency variation Index)

(xi) हारमोनिक्स – (Harmonics in supply Voltage)

(xii) प्रणाली प्रचुरता (System Adequacy)

(xiii) प्रणाली सुरक्षा (System Security)

6.19 इस प्रतिवेदन में उपरोक्त दर्शाये गये पैरा 5.18 के सरल क्रमांक (i) (ii) तथा (iv) संबंधी किये गये परिपालन निम्न विवरण अनुसार दर्शाये गये हैं :–

1) **वोल्टेज परिवर्तन :** विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर निर्धारित वोल्टेज से परिवर्तन की अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

सामान्य वोल्टेज (केवी)	अधिकतम		न्यूनतम	
	सीमा (%)	मान (केवी में)	सीमा (%)	मान (केवी में)
400	**+5**	**420.00**	**-10**	**360.00**
220	**+10**	**245.00**	**-10**	**198.00**
132	**+10**	**145.20**	**-10**	**118.80**
66	**+10**	**72.60**	**-10**	**59.40**
33	**+6**	**34.98**	**-9**	**30.03**
11	**+6**	**11.66**	**-9**	**10.01**

वोल्टेज परिवर्तन संबंधी अनुपालन की अद्यतन स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

सामान्य वोल्टेज (केवी में)	वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत	त्रैमास अन्त जून 05 के अन्तर्गत	त्रैमास अन्त सितम्बर 05 के अन्तर्गत	त्रैमास अन्त दिसम्बर 05 के अन्तर्गत
400 केवी	सामान्यतः समय सीमा के अन्तर्गत रही, केवल तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास में बीना 400 केवी को छोड़कर (–14 %)	किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया	बीना 400 केवी (+6.75%)	बीना 400 केवी (5.25%) एवं इन्दौर 400 केवी (6.25%)
220 केवी	बड़वाह +10.45% तथा -14.5% देवास +22.73% ग्वालियर 29.09% मालनपुर 29.09% नेपानगर +10% तथा -15%	दमोह +12.73% ग्वालियर +11.36% तथा -20.91% देवास – 11.36% रीवा +11.82% नेपानगर -12.27% मालनपुर -15.91%	दमोह +13.64% कटनी +11.35% बड़वाह -16.82% देवास -11.36% ग्वालियर -22.73% मालनपुर -22.73% रतलाम -13.64%	दमोह +11.36% बड़नगर –11.36% बड़वाह –15.91% देवास –16.82% ग्वालियर –22.73% मालनपुर –25.91% मेहगांव – 27.21% नरसिंहपुर 15.00% नीमच -13.65% रतलाम -13.64% पीथमपुर -12.73% इन्दौर (विशेष आर्थिक परिक्षेत्र) - 11.82% निमरानी - 11.36%

132केवी	बड़नगर 18.18% बड़वाह -16.67% देवास -18.94% गुना -22.73% ग्वालियर -30.30% हण्डिया -16.67% जैतपुरा -15.15% जुलवानिया -19.70% मालनपुर -27.27% मेहगांव -31.82% निमरानी -21.21% रतलाम -15.15% इन्दौर -16.67%	देवास -15.15% ग्वालियर -18.94% जुलवानिया-12.12% मालनपुर -16.67% मेहगांव -16.67%	बड़नगर -12.88% भोपाल -12.12% दमोह -12.88% देवास -12.88% गुना -12.12% ग्वालियर -24.24% जुलवानिया13.64% मालनपुर -27.27% मेहगांव -19.70% रतलाम -14.39% इन्दौर -12.12%	220 केवी स्टेशनों की 132 केवी बस : बैरागढ़ -12.12% बड़नगर -20.45% बड़वाह -16.67% भोपाल -15.15% दमोह -13.64% देवास – 18.18% गुना -22.73% ग्वालियर -21.21% हण्डिया -16.67% जुलवानिया -16.67% मालनपुर -16.67% महगांव -25.76% नागदा -21.21% नरसिंहपुर -14.39% नीमच -13.64% पांढुरना -12.12% पीथमपुर -12.12% रतलाम -12.88% शुजालपुर -15.15% इन्दौर -13.64% उज्जैन -14.39%

(iii) सुरक्षा मानक : अनुज्ञप्तिधारी को सुरक्षा मानक निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार संधारित किये जाने हैं :

सरल क्रमांक	भारतीय विद्युत नियम 1956 की धारा क्रमांक	के संबंध में	परिपालन प्रतिवेदित किया गया			
			वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06 प्रथम त्रैमास	वर्ष 2005–06 द्वितीय त्रैमास	वर्ष 2005–06 तृतीय त्रैमास
1	धारा 29 से 46	सामान्य सुरक्षा अर्हताएं (General Safety Requirements)	परिपालन किया गया	परिपालन किया गया	परिपालन किया गया	परिपालन किया गया
2	धारा 74 से 81	टेका मानक तथा सुरक्षा समाशोधन (Supports Standards and Safety Clearances)	परिपालन किया गया	परिपालन किया गया	परिपालन किया गया	परिपालन किया गया
3	धारा 87 से 88	लाईन पार करना तथा गार्डिंग लगाना (Line Crossing and Guarding)	परिपालन किया गया	परिपालन किया गया	परिपालन किया गया	परिपालन किया गया
4	धारा 90	भू–योजन (Earthing)	परिपालन किया गया	परिपालन किया गया	परिपालन किया गया	परिपालन किया गया
5	धारा 91	सुरक्षा तथा बचाव उपकरण (Safety and Protective Devices)	परिपालन किया गया	परिपालन किया गया	परिपालन किया गया	परिपालन किया गया
6	धारा 92	तड़ित से बचाव (Protection Against Lightening)	परिपालन किया गया केवल काफी पुरानी 132 केवी एवं 66 केवी पारेषण लाईनों को छोड़कर जो कि द्विपोल संरचना पर स्थापित की गई है परन्तु इनमें सुरक्षा उपकरण उपकेन्द्र छोर पर लगाये गये है ।			
7	धारा 93	अनुपयोगी शिरोपरि लाईनें (Unused Overhead Lines)	परिपालन किया गया	परिपालन किया गया	परिपालन किया गया	परिपालन किया गया

(iv).प्रणाली उपलब्धता : अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली की उपलब्धता को निम्नलिखित तालिका के अनुसार संधारित किया जावेगा :

प्राथमिक स्थिति – स्तर एक अर्थात दिनांक 22.7.2006 तक	**95.0 %**

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रणाली की उपलब्धता निम्नानुसार निष्पादित की गई है :

प्रणाली वोल्टेज	**निष्पादित की गई वास्तविक प्रणाली उपलब्धता**			
	वर्ष 2004–05	**वर्ष 2005–06 प्रथम त्रैमास**	**वर्ष 2005–06 द्वितीय त्रैमास**	**वर्ष 2005–06 तृतीय त्रैमास**
400 केवी	99.35%	98.37%	94.35%	99.08%
220 केवी	99.17%	98.27%	99.45%	99.31%
132 केवी	99.62%	99.17%	99.15%	99.33%
कुल मिलाकर	**99.19%**	**98.55%**	**98.46%**	**99.25%**

———————————

अध्याय – 7

वित्तीय वर्ष 2005–06 में आयेाग की प्राप्तियां एवं व्यय का विवरण

6.1 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 103 के अन्तर्गत आयोग की निधी की स्थापना कर दी गयी है जिसमें म.प्र. शासन द्वारा प्राप्त सहायक अनुदान की राशि रूपये **13,50,000**/– (तेरह लाख पचास हजार) एवं विभिन्न आय मदों में रूपये **6,54,19,325**/– की राशि प्राप्त हुई तथा आयोग द्वारा वर्ष 2005–06 में विभिन्न मदों में कुल रूपये **1,34,41,745** की राशि व्यय की गयी है जिसका विवरण परिशिष्ट "4" में संलग्न है।

6.2 म.प्र. विद्युत नियामक आयेाग को शासन द्वारा भवन क्रय करने हेतु रूपये **2,24,96000**/– ऋण दिया गया था। उक्त भवन म.प्र. गृह निर्माण मंडल भोपाल से क्रय किया गया था। अतः शासन से प्राप्त ऋण की राशि रूपये **2,24,96000**/– का भुगतान म.प्र. गृह निर्माण मंडल, भोपाल को कर दिया गया है। शासन द्वारा प्राप्त ऋण को किश्तों में मय व्याज के भुगतान करना है। अतः आयोग को प्राप्त आय में से ऋण के प्रथम किश्त की मूलधन की राशि रूपये **75,00000**/– एवं व्याज की राशि रूपये **23,62080**/– कुल रूपये **98,62080**/– शासन को भुगतान की गयी है। उक्त भवन की रजिस्ट्री कर भवन का अधिपत्य प्राप्त कर लिया गया है।

———————

परिशिष्ट 1

वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम

स.क्र.	नाम	पदनाम	कार्यग्रहण की तिथि	सेवा निवृत्ति के लिए निर्धारित तिथि
1	पी.के.मेहरोत्रा	अध्यक्ष	14 / 03 / 2002	14.02.07
2	डी. रॉयवर्धन	सदस्य (अभियांत्रिकी)	21 / 01 / 2003	20.01.2008
3	आर. नटराजन	सदस्य (ईकोनोमिक्स)	08 / 05 / 2003	07.05.2008

परिशिष्ट–2

स्वप्रेरणा याचिकाओं की सूची

अवधिः 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च 2006 तक

स.क्र.	याचिका क्रमांक (एस एम पी)	विषय
1	40/05	ग्रामों का समस्त विद्युत प्रदाय विच्छेद के संबंध में
2	42/05	वितरण ट्रान्सफार्मर स्तर पर उपयोग किये जाने वाले मीटर के स्पेसिफिकेशन्स बावत स्वप्रेरणा याचिका
3	43/05	टैरिफ आदेश दिनांक 10.12.04 (उपभोक्ता की देखभाल संबंधी दिशा निर्देश) के दिशा निर्देशों के अनुपालन के संबंध में याचिका
4	05/05	वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों को लागू करने एवं वसूली के संबंध में
5	46/05	ए.बी.टी मीटरों की स्थापना के संबंध में
6	49/05	अस्थाई संयोजनों प्रीपेड मीटरों को लगाये जाने तथा बिना मीटरयुक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के टैरिफ समाप्त किये जाने के संबंध में
7	50/05	राज्य में विनियमन उपायों को लागू किया जाना– प्रभावित उपभोक्ताओं को राहत दिये जाने के संबंध में
8	51/05	बिल बोर्ड, विज्ञापन पट, नियॉन लेंप, हैलोजन लाईट का पृथक उपभोक्ता श्रेणी के रूप में टैरिफ निर्धारण। हेतु वर्गीकरण किया जाना
9	52/05	घरेलू/गैर घरेलू उपभोक्ताओं को बिलंबित भुगतान अधिभार के क्रियान्वयन किये जाने बाबत्।
10	53/05	विद्युत अधिनियम 2003, धारा 57 (1) तथा (2) वितरण अनुपालन मानदण्ड
11	54/05	म.प्र.विद्युत सुधार अधिनियम 2000 की धारा 22 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा आयोग के समक्ष वार्षिक लेखा विवरण पत्रक का प्रस्तुत किया जाना

12	56 / 05	नवीन संयोजनों हेतु लंबित आवेदनों की अद्यतन स्थिति तथा तत्संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन के संबंध में
13	57 / 05	वित्तीय वर्ष 06 हेतु टैरिफ का निर्धारण।–जानकारी का प्रकाशन
14	59 / 05	मण्डल द्वारा विद्युत क्रय तथा प्रोक्यूरमेंट पर आयोग विनियमन का अनुपालन न किये जाने के संबंध में
15	74 / 05	म.प्र.रा.वि.मण्डल की उत्तरवर्ती इकाईयों के मध्य वाणिज्यिक अनुबंधों के संबंध में
16	86 / 05	पारेषण तथा वितरण हानियों तथा तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को पृथक किये जाने के संबंध में
17	88 / 05	अनुज्ञप्ति की शर्तो को लागू किये जाने विषयक याचिका – पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी।
18	89 / 05	अनुज्ञप्ति की शर्तो को लागू किये जाने विषयक याचिका –मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी।
19	90 / 05	अनुज्ञप्ति की शर्तो को लागू किये जाने विषयक याचिका – पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी।
20	92 / 05	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 128 (8) के संबंध में न्यूनतम आवश्यक जानकारी के संबंध में –उच्च वर्ग उपभोक्ताओं के भुगतान की अद्यतन स्थिति
21	105 / 05	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 128 (8) के संबंध में न्यूनतम आवश्यक जानकारी– प्रत्येक वृत तथा क्षेत्र में निम्नदान उपभोक्ताओं से प्रत्याशित राजस्व – पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी।
22	106 / 05	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 128 (8) के संबंध में न्यूनतम आवश्यक जानकारी– प्रत्येक वृत्त तथा क्षेत्र में निम्नदाब उपभोक्ताओं से प्रत्याशित राजस्व– मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी।
23	107 / 05	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 128 (8) के संबंध में न्यूनतम आवश्यक जानकारी– प्रत्येक वृत्त तथा क्षेत्र में निम्नदाब उपभोक्ताओं से प्रत्याशित राजस्व– पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी।
24	108 / 05	वित्तीय वर्ष 06 हेतु विद्युत क्रय बाबत्
25	113 / 05	वित्तीय वर्ष 06 हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसिडी के संबंध में

26	118 / 05	राष्ट्रीय विद्युत नीति के दिशा–निर्देशों 5.4.12 के संबंध में याचिका – स्काडा तथा डेटा मेनेजमेंट संबंध में समयबद्ध कार्यक्रम
27	119 / 05	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 128 (8) के संबंध में न्यूनतम आवश्यक जानकारी विषयक, उच्च दाब / निम्न दाब उपभोक्ताओं के संबंध में औसत मासिक पावर फेक्टर
28	120 / 05	टैरिफ आदेश दिनांक 29.6.05 का क्रियान्वयन–विभिन्न निम्न दाब श्रेणियों हेतु स्थाई प्रभारों में प्रदान की गई छूट विषयक
29	121 / 05	अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यों पर (विद्युत प्रणाली की लाईनें तथा संयत्रों पर) दुर्धटनाओं के कारण क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान
30	129 / 05	मध्यप्रदेश राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वितरण ट्रान्सफार्मर मीटरिंग
31	130 / 05	कर्मचारियों की पदस्थापना संबंधी नीति
32	133 / 05	रबी मौसम के दौरान क्रियान्वित किये जाने वाले भार विनियमन उपाय के संबंध में
33	134 / 05	मण्डल के राजस्व का गबन, उपभोक्ताओं की परेशानी
34	135 / 05	अनुबंध मांग में कमी किये जाने बाबत् प्रक्रिया का कार्यान्वयन
35	136 / 05	ट्रांसफार्मरों के असफल होने तथा उन्हें बदले जाने हेतु दैनिक जानकारी
36	137 / 05	विद्युत चोरी तथा भेदभाव को दूर करने की शिकायत के निराकरण के संबध में
37	140 / 05	ए.पी.डी.आर.पी. कार्यक्रम बाबत्
38	143 / 05	वितरण कंपनियों के वितरण केन्द्रों तथा संभागों के अनुपालन की समीक्षा तथा कम्प्यूटर लगाने बाबत् एवं इनमें ई–मेल की सुविधा
39	145 / 05	वितरण हानियों में कमी किये जाने बाबत्
40	155 / 05	म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत व्यापार किये जाने के संबंध में
41	158 / 05	बड़े शहरों में हेन्ड हेल्ड कम्प्यूटरों द्वारा स्पाट बिलिंग

		का कार्यान्वयन किया जाना
42	161 / 05	फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति
43	162 / 05	मध्यप्रदेश के जिला देवास के ग्राम नागदा में 1.25 मेगावाट तक की क्षमता के पवन ऊर्जा उत्पादन संयत्रों की संस्थापना के संबंध में
44	4 / 06	उपभोक्ताओं को विद्युत अवरोध के संबंध में असत्य जानकारी दिया जाना
45	5 / 06	मोहम्मद सलीम अहमद, बाग उमराव दुल्हा, भोपाल की शिकायत का निराकरण न किये जाने संबंधी
46	8 / 06	उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को मीटरों की जांच के संबंध में प्राप्त शिकायतें
47	13 / 06	इन्दौर के बहु–उपयोगकर्ता कम्लेक्सों में एक उच्च दाब बिन्दु संयोजन दिया जाना

परिशिष्ट – 3

आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम/संहिताएं/मानक

सरल क्रमांक	अन्तिम विनियम	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	राजपत्र की अधिसूचना दिनांक	विनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004	861	27 मार्च, 04	16 अप्रैल, 04	जी–1, वर्ष 2004
2.	विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में संशोधन	1662	12 जुलाई, 05	22 जुलाई, 05	एजी–1(i), वर्ष 2005
3.	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता (द्वितीय संशोधन), 2005	2471	18 अक्टूबर, 05	28 अक्टूबर, 05	एजी–1 (ii), वर्ष 2005
4.	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता (तृतीय संशोधन), 2004	3051	20 दिसम्बर, 05	6 जनवरी, 06	ए जी –1 (iii), वर्ष 2005
5.	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता (चतुर्थ संशोधन), 2006	252	24 जनवरी, 06	3 फरवरी, 06	एजी–1 (iv), वर्ष 2006
6.	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता (पंचम संशोधन), 2006	301	28 जनवरी, 06	10 फरवरी, 06	एजी–1 (v), वर्ष, 2006
7.	म.प्र.वि.नि.आ. (अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन के कार्य निष्पादन अनुवीक्षण) विनियम, 2004	888	2 अप्रैल, 04	30 अप्रैल, 04	जी–2, वर्ष, 2004
8.	म.प्र.वि.नि.आ. (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम, 2004	1003	12 अप्रैल, 04	30 अप्रैल, 04	जी–3, वर्ष, 2004
9.	म.प्र.वि.नि.आ. (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम, 2004 में प्रथम संशोधन	251	24 जनवरी 06	3 फरवरी, 06	एजी–3 (i), वर्ष 2006

10.	म.प्र.विनिआ (अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया) विनियम, 2004	1389	29 मई, 04	4 जून, 04	जी–4, वर्ष 2004
11.	म.प्र. विनिआ (अनुज्ञप्तिधारियों के अन्य व्यवसायों से आय विषयक व्यवहार) विनियम, 2004	1454	1 जून, 04	11 जून, 04	जी–5, वर्ष 2004
12.	म.प्र. विनिआ (परामर्शी की नियुक्ति) विनियम, 2004	1713	25 जून, 04	2 जुलाई 04	जी–6, वर्ष 2004
13	म.प्र. विनिआ (परामर्शी की नियुक्ति) विनियम, 2004 में संशोधन	2000	23 जुलाई, 04	30 जुलाई, 04	एजी–6 (i), वर्ष 2004
14	म.प्र. विनिआ (परामर्शी की नियुक्ति) विनियम, 2004 में संशोधन	1762	26 जुलाई, 05	12 अगस्त, 05	एजी–6 (ii), वर्ष 2005
15.	म.प्र. विनिआ (परामर्शी की नियुक्ति) विनियम, 2004 में तृतीय संशोधन	498	16 फरवरी, 06	24 फरवरी, 06	एजी–6 (iii), वर्ष 2006
16	म.प्र. विनिआ (राज्य परामर्शदात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली) विनियम, 2004	1714	25 जून, 04	2 जुलाई, 04	जी–7, वर्ष 2004
17.	म.प्र. विनिआ (वितरण अनुपालन मानदण्ड), विनियम, 2004	1902	13 जुलाई, 04	16 जुलाई, 04	जी–8, वर्ष 2004
18	म.प्र. विनिआ (वितरण अनुपालन मानदण्ड), विनियम, 2004 में संशोधन	1946	9 अगस्त, 05	12 अगस्त, 05	एजी–8 (i), वर्ष 2004
19	म.प्र. विनिआ (वितरण अनुपालन मानदण्ड), विनियम, 2004 (प्रथम पुनरीक्षण, वर्ष 2005)	2320	26 सितम्बर, 05	28 अक्टूबर, 05	आरजी–8 (1), वर्ष 2005
20	म.प्र. विनिआ (वितरण अनुपालन मानदण्ड), विनियम, 2004 (प्रथम पुनरीक्षण, वर्ष 2005) में प्रथम संशोधन	3050	20 दिसम्बर, 05	6 जनवरी, 06	ए [आरजी–8 (1)] (i), वर्ष 2005

21	म.प्र. विनिआ (वितरण अनुपालन मानदण्ड), विनियम, 2004 (प्रथम पुनरीक्षण, वर्ष 2005) में द्वितीय संशोधन	632	2 मार्च, 06	10 मार्च, 06	ए [आरजी–8 (1)], (ii) वर्ष 2006
22.	मप्रविनिआ (पारेषण संपादन मानदण्ड) विनियम, 2004	1932	16 जुलाई, 04	23 जुलाई, 04	जी–9, वर्ष 2004
23.	मप्रविनिआ (पारेषण संपादन मानदण्ड) विनियम, 2004 (प्रथम पुनरीक्षण, वर्ष 2005)	2752	17 नवम्बर, 05	16 दिसम्बर, 05	जी–9 (1), वर्ष 2005
24.	मप्रविनिआ (कार्य संचालन) विनियम, 2004	1997	23 जुलाई, 04	30 जुलाई, 04	जी–10, वर्ष 2004
25.	मप्रविनिआ (कार्य संचालन) विनियम, 2004 (प्रथम संशोधन)	1764	26 जुलाई, 05	12 अगस्त, 05	एजी–10 (i), वर्ष 2005
26.	पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु अनुज्ञप्ति की शर्तें (माने गये अनुज्ञप्तिधारी को सम्मिलित कर), 2004	1998	23 जुलाई, 04	30 जुलाई, 04	जी – 11, वर्ष 2004
27.	पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु अनुज्ञप्ति की शर्तें (माने गये अनुज्ञप्तिधारी को सम्मिलित कर), 2004 में प्रथम संशोधन	1765	26 जुलाई, 05	12 अगस्त, 05	एजी–11 (i), वर्ष 2005
28.	पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु अनुज्ञप्ति की शर्तें (माने गये अनुज्ञप्तिधारी को सम्मिलित कर), 2004 में परिवर्धन (द्वितीय संशोधन)	2560	28 अक्टूबर, 05	4 नवंबर, 05	एजी 11(ii), वर्ष 2005
29.	वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु अनुज्ञप्ति की शर्तें (माने गये अनुज्ञप्तिधारी को सम्मिलित कर), 2004	1999	23 जुलाई, 04	30 जुलाई, 04	जी–12, वर्ष 2004
30.	वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु अनुज्ञप्ति की शर्तें (माने गये अनुज्ञप्तिधारी को सम्मिलित कर), 2004 में प्रथम संशोधन	2559	28 अक्टूबर, 05	4 नवंबर, 05	जी–12 (i), वर्ष 2005
31.	वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु अनुज्ञप्ति की शर्तें (माने गये	2315	26 सितम्बर, 05	7 अक्टूबर, 05	जी–12 (ii), वर्ष 2005

	अनुज्ञप्तिधारी को सम्मिलित कर), 2004 में द्वितीय संशोधन				
32.	वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु अनुज्ञप्ति की शर्तें (माने गये अनुज्ञप्तिधारी को सम्मिलित कर), 2004 में तृतीय संशोधन	283	27 जनवरी, 06	3 फरवरी, 06	एजी–12 (iii), वर्ष 2006
33.	मप्रविनिआ (टैरिफ निर्धारण। के लिये उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाले विवरण) विनियम, 2004	2118	6 अगस्त, 04	13 अगस्त, 04	जी–13, वर्ष 2004
34.	मप्रविनिआ (टैरिफ निर्धारण। के लिये उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाले विवरण) विनियम, 2004 में संशोधन	1768	26 जुलाई, 05	12 अगस्त, 05	एजी–13 (i), वर्ष 2005
35.	मप्रविनिआ (टैरिफ निर्धारण। के लिये उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाले विवरण) विनियम, 2004 में संशोधन	2004	22 सितम्बर, 05	30 सितम्बर, 05	एजी–13 (ii), वर्ष 2005
36.	मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता	2119	6 अगस्त, 04	20 अगस्त, 04	जी–14, वर्ष 2004
37.	मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में संशोधन	1769	26 जुलाई, 05	12 अगस्त, 05	एजी–14, (i), वर्ष 2005
38.	मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (प्रथम पुनरीक्षण), 2005	2506	24 अक्टूबर, 05	9 दिसम्बर, 05	आर जी–14 (i) वर्ष 2005
39.	म.प्र. विनिआ. (अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया) विनियम, 2004	2385	04 सितम्बर, 04	17 सितम्बर, 04	जी–15, वर्ष 2004
40.	म.प्र. विनिआ. (अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया) विनियम, 2004 में संशोधन	1766	26 जुलाई, 05	12 अगस्त, 05	एजी–15 (i), वर्ष 2005

41.	मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उदग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004	2556	21 सितम्बर, 04	01 अक्टूबर, 04	जी–16, वर्ष 2005
42.	मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उदग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004 में संशोधन	1767	26 जुलाई, 05	12 अगस्त, 05	एजी–16 (i), वर्ष 2005
43.	मप्रविनिआ (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004	2560	22 सितम्बर, 04	1 अक्टूबर, 04	जी–17, वर्ष 2004
44.	मप्रविनिआ (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004 में संशोधन	1382	9 जून, 2005	17 जून, 05	एजी–17(i), वर्ष 2005
45	मप्रविनिआ (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004 में संशोधन	1763	26 जुलाई, 2005	12 अगस्त, 05	एजी–17(ii), वर्ष 2005
46	मप्रविनिआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु पात्रता संबंधी मापदण्ड तथा विद्युत अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 04	2680	5 अक्टूबर, 2004	15 अक्टूबर, 04	जी–18 वर्ष 2004
47.	मप्रविनिआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु पात्रता संबंधी मापदण्ड तथा विद्युत अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 में प्रथम संशोधन	1944	9 अगस्त, 05	12 अगस्त, 05	एजी–18 (i), वर्ष 2005
48.	मप्रविनिआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु पात्रता संबंधी मापदण्ड तथा विद्युत अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 में द्वितीय संशोधन	3064	21 दिसम्बर, 05	6 जनवरी, 06	एजी–18 (ii), वर्ष 2005
49.	म.प्र. विनिआ (विद्युत क्रय एवं प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया) विनियम, 2004	3069	6 नवम्बर, 04	26 नवम्बर, 04	जी–19, वर्ष 2004
50.	म.प्र. विनिआ (विद्युत क्रय एवं प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया) विनियम, 2004 में संशोधन	1945	9 अगस्त, 05	12 अगस्त, 05	जी–19 (i), वर्ष 2005
51.	म.प्र. विनिआ (तामीली की	3328	20 दिसम्बर, 04	31 दिसम्बर, 04	जी–20, वर्ष

	रीति एवं सूचना का प्रकाशन), विनियम, 2004				2004
52.	म.प्र विनिआ (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) विनियम, 2005	394	14 फरवरी, 05	18 फरवरी, 05	जी–21, वर्ष 2005
53.	म.प्र विनिआ (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) विनियम, 2005 में संशोधन	1947	9 अगस्त, 05	12 अगस्त, 05	एजी–21 (i), वर्ष 2005
54.	मप्रविनिआ (प्रभार निर्धारण की पद्धति एवं सिद्धान्त तथा विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूली योग्य विविध प्रभारों की अनुसूची) विनियम, 2005	751	28 मार्च, 05	15 अप्रैल, 05	जी–22, वर्ष 2005
55.	मप्रविनिआ (प्रभार निर्धारण की पद्धति एवं सिद्धान्त तथा विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूली योग्य विविध प्रभारों की अनुसूची) विनियम, 2005 में संशोधन	260	25 जनवरी, 06	3 फरवरी, 06	एजी–22 (i), वर्ष 2006
56.	मप्रविनिआ (प्रभार निर्धारण की पद्धति एवं सिद्धान्त तथा विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूली योग्य विविध प्रभार) विनियम, 2006	579	25 फरवरी, 06	3 मार्च, 06	आरजी–22, वर्ष 2006
57.	मप्रविनिआ (विनिमय परिपालन के प्रतिवेदन की प्रस्तुति बावत दिशा–निर्देश) विनियम, 2005	1077	5 मई, 05	13 मई, 05	जी–23, वर्ष 2005
58.	म.प्रविनिआ (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005	1431	16 जून, 05	24 जून, 05	जी–24, वर्ष 2005
59.	म.प्रविनिआ (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 मे प्रथम संशोधन	832	22 मार्च, 06	24 मार्च, 06	एजी–24, वर्ष 2006

60.	मप्रविनिआ (टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की गणना की प्रक्रिया) विनियम 2005	2346	28 सितम्बर, 05	28 अक्टूबर, 05	जी–25, वर्ष 2005
62.	म.प्र.विनिआ (उत्पादन टैरिफ के निर्धारण। संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005	2932	5 दिसम्बर, 05	23 दिसम्बर, 05	जी–26, वर्ष 2005
61.	म.प्र.विनिआ (उत्पादन टैरिफ के निर्धारण। संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 में प्रथम संशोधन	719	10 मार्च, 06	17 मार्च,06	एजी–26 (i) वर्ष 2006
63.	म.प्र.विनिआ (विद्युत वितरण तथा खुदरा व्यापार के टैरिफ निर्धारण। संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005	2934	5 दिसम्बर, 05	23 दिसम्बर, 05	जी–27, वर्ष 2005
64.	म.प्र.विनिआ (पारेषण टैरिफ के निर्धारण। संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005	3023	16 दिसम्बर, 05	23 दिसम्बर, 05	जी–28, वर्ष 2005
65.	म.प्र. विद्युत वितरण संहिता	37	4 जनवरी, 06	20 जनवरी, 06	जी–29, वर्ष 2006

विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत निम्न विनियम प्रारूप स्तर पर हैं तथा उन पर इच्छुक व्यक्तियों से टीप प्राप्त किये जाने बाबत सार्वजनिक सूचना जारी की गई है :

प्रारूप विनियम	**दिनांक**
मध्यप्रदेश (वितरण अनुपालन मानदण्ड) विनियम, 2004 (प्रथम पुनरीक्षण वर्ष 2005) में संशोधन विषयक सार्वजनिक सूचना	28.06.2006
केप्टिव विद्युत संयंत्र संबंधी प्रारूप विनियम	18.04.2006
विद्युत प्रदाय संहिता में अनुबंधित मांग में कमी किये जाने बाबत् प्रारूप संशोधन	26.04.2006
''मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004'' के अन्तर्गत : विद्युत की चोरी को रोके जाने संबंधी उपाय शामिल किये जाने बाबत ''संहिता'' में प्रारूप परिवर्धन का पूर्व प्रकाशन।	18.10.2005

परिशिष्ट – 4

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
वित्तीय वर्ष 2005–06 की प्राप्तियां तथा भुगतान संबंधी लेखे का विवरण पत्र

स.क्र.	प्राप्तियां	राशि (रुपये)
ए	**प्रारंभिक शेष**	
1	नगद एवं बैंक में	4,01,99,507
2	आई.सी.आई.सी.आई बैंक में सावधि जमा राशि	3,30,00,000
	योग (ए)	7,31,99,507
बी	**आय**	
1	म.प्र.शासन से अनुदान	13,50,000
2	याचिका शुल्क	6,08,24,788
3	विविध प्राप्तियां	80,224
4	सत्यापित प्रति शुल्क	1255
5	विविध कटौतियां	947
6	बैंक से प्राप्त ब्याज	30,49,904
7	वाहन किराया	6,000
8	नोट बुक कम्पूटर की वसूली	53,061
	योग आय (बी)	**6,53,66,179**
सी	**प्रतिभूति निक्षेप**	
1	प्रतिभूति निक्षेप	53,146
	कुल प्राप्तियॉ (ए+बी+सी)	**13,86,18,832**

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

वित्तीय वर्ष 2005–06 की प्राप्तियां तथा भुगतान संबंधी लेखे का विवरण पत्र

स.क्र.	भुगतान शीर्ष	राशि (रुपये)
डी	व्यय	
1	अवकाश यात्रा सुविधा	90614
2	अध्यक्ष तथा सदस्यों का वेतन	1435316
3	अधिकारियों का वेतन	4413968
4	तृतीय वर्ग के कर्मचारियों का वेतन	1394279
5	चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का वेतन	807350
6	मानदेय राशि	192667
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	150370
8	मजदूरी व्यय	89355
9	यात्रा व्यय	398017
10	डाक एवं तार व्यय	36340
11	दूरभाष व्यय	339209
12	समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	29769
13	मुद्रण एवं स्टेशनरी	453023
14	विद्युत एवं जल प्रदाय पर व्यय	307012
15	परीक्षा एवं प्रशिक्षण व्यय	21000
16	सेमिनार एवं सम्मेलन	173088
17	व्यवसायिक सेवाएं	991321
18	अनुरक्षण व्यय	195410
19	पुस्तकें एवं प्रकाशन	18425
20	प्रोसेसिंग शुल्क की वापसी	34926
21	विज्ञापन और प्रकाशन एवं प्रसार	1332288
22	पेट्रोल, तेल एवं लुब्रिकेंट	245256
23	कर्मचारी कल्याण	17300

स.क्र.	भुगतान शीर्ष	राशि (रुपये)
24	कार्यालय भवन किराया	269192
25	विधि प्रभार	6250
	कुल व्यय (डी)	**13441745**
ई	**ऋण भुगतान तथा ब्याज**	
1	म.प्र.शासन को ऋण की अदायगी (प्रथम किश्त)	7500000
2	म.प्र.शासन से प्राप्त ऋण पर ब्याज की अदायगी	2362080
	योग (ई)	**9862080**
एफ	**स्थाई परिसंपतियों का क्रय**	
1	मशीनरी तथा उपकरण	648502
2	कार्यालय भवन (मेट्रो प्लाजा) हेतु भुगतान	27264745
	योग (एफ)	**27913247**
जी	**म.प्र.भवन में जमा की गई सुरक्षा निधि**	
1	म.प्र.भवन में जमा की गई सुरक्षा निधि	10000
	योग (जी)	**10000**
एच	**अन्य लेखा**	
1	राजस्थान बैंक में आवर्ती जमा लेखा	39900
	योग (एच)	**39900**
आई	**अंतिम शेष**	
	नगद तथा बैंक में जमा	12136306
	आई.सी.आई.सी.आई बैक में सावधि जमा राशि	75215554
	योग (आई)	**87351860**
	कुल भुगतान (ई+एफ+जी+एच+आई)	**138618832**

परिशिष्ट–5

वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 के दौरान वितरण कंपनीयों द्वारा निष्पादित अनुपालन मानदण्डों का विश्लेषण

मानकों का विवरण	वितरण कंपनीयों का नाम	क्षेत्र	वर्ष 2005–06 के दौरान कुल प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2005–06 के दौरान निर्धारित मापदण्ड के भीतर हल किये गये प्रकरणों की संख्या	प्रतिशत प्रकरणों की संख्या जहां सुधार कार्य निर्धारित अवधि के भीतर किया गया		प्रतिशत प्रकरणों की संख्या जहां सुधार कार्य निर्धारित अवधि के भीतर नही किया गया
					वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2005–06
सामान्य फ्यूज आफ काल (समग्र मानदण्डों हेतु निर्धारित सीमा 95 प्रतिशत है)	पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	388861	357698	99.29%	91.99%	3.01%
		ग्रामीण	331096	330529	97.69%	99.83%	निरंक
	मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	423074	420010	99.54%	99.28%	निरंक
		ग्रामीण	128705	127072	98.77%	98.73%	निरंक
	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	361897	358677	99.72%	99.11%	निरंक
		ग्रामीण	213713	211812	96.63%	99.11%	निरंक
लाईनों में अवरोध (समग्र मानदण्डों हेतु निर्धारित सीमा 95 प्रतिशत है	पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	14055	14038	95.84%	99.88%	निरंक
		ग्रामीण	21165	21152	88.69%	99.94%	निरंक
	मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	5492	5335	44.00%	97.14%	निरंक
		ग्रामीण	7772	7281	98.77%	93.68%	1.32%
	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	2043	2036	99.24%	99.66%	निरंक
		ग्रामीण	4271	4224	97.94%	98.90%	निरंक
वितरण ट्रांसफार्मरों की असफलता (समग्र मानदण्डों हेतु निर्धारित सीमा 95 प्रतिशत है	पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	355	355	92.77%	100.00%	निरंक
		ग्रामीण	9891	9891	80.68%	100.00%	निरंक
	मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	1415	1360	99.43%	96.11%	निरंक
		ग्रामीण	10843	9994	96.47%	92.17%	2.83%
	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	2486	2482	94.07%	99.84%	निरंक
		ग्रामीण	5993	5632	98.95%	93.98%	1.02%

मीटर संबंधी शिकायतों (समग्र मानदण्डों हेतु निर्धारित सीमा शहरी क्षेत्र मे 99.5 एवं ग्रामीण में 98 प्रतिशत है)	पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	30481	30230	96.51%	99.18%	0.32%
		ग्रामीण	10065	10047	94.77%	99.82%	निरंक
	मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	20058	19680	99.18%	98.12%	1.38%
		ग्रामीण	7635	7262	99.46%	95.11%	2.89%
	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	13485	13363	96.47%	99.10%	0.40%
		ग्रामीण	14196	13466	99.56%	94.86%	3.14%
नवीन संयोजन तथा अतिरिक्त भार हेतु आवेदन (मानदण्ड शत् प्रतिशत है)	पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	38941	37874	86.76%	97.26%	2.74%
		ग्रामीण	15859	15856	88.63%	99.98%	0.02%
	मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	37094	36481	98.45%	98.35%	1.65%
		ग्रामीण	25323	24965	98.52%	98.59%	1.41%
	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	18107	17536	100.00%	96.85%	3.15%
		ग्रामीण	12840	12690	100.00%	98.83%	1.17%
स्वामित्व अन्तरण एवं श्रेणी परिवर्तन (मानदण्ड शत् प्रतिशत है)	पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	314	314	100.00%	100.00%	0.00%
		ग्रामीण	180	180	100.00%	100.00%	0.00%
	मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	950	949	96.34%	99.89%	0.11%
		ग्रामीण	82	79	100.00%	96.34%	3.66%
	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	2935	2920	98.56%	99.49%	0.51%
		ग्रामीण	325	320	99.72%	98.46%	1.54%
देयक (बिलिंग) त्रुटियां (समग्र मानदण्डों हेतु निर्धारित सीमा 99 प्रतिशत है	पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	49081	48923	87.15%	99.68%	निरंक
		ग्रामीण	38548	38548	99.73%	100.00%	निरंक
	मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	66213	65840	96.63%	99.44%	निरंक
		ग्रामीण	4523	4486	97.62%	99.18%	निरंक
	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	27471	27233	99.23%	99.13%	निरंक
		ग्रामीण	16821	16443	100.00%	97.75%	1.25%
असंयोजन उपरांत प्रदाय का पुर्नसंयोजन(मानदण्ड शत् प्रतिशत है)	पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	191577	191460	98.96%	99.94%	निरंक
		ग्रामीण	255907	255568	98.62%	99.87%	निरंक
	मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	80845	79104	98.20%	97.85%	निरंक
		ग्रामीण	40849	40369	100.00%	98.82%	निरंक
	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी	शहरी	251382	250892	100.00%	99.81%	निरंक
		ग्रामीण	236959	236140	100.00%	99.65%	निरंक

वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2005–2006)

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, 'ए' ब्लाक, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

फोन–0755–2762961, 4991999, फैक्स– 2766851

वेबसाईट : www.mperc.org

ई–मेल : secmperc@sancharnet.in